



भारत सरकार , रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड



केंद्रीकृत रोज़गार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 02/2025



तकनीशियन श्रेणियों की भर्ती



विषयसूची

| क्रमांक। | पैरा नं. | अंतर्वस्तु | पृष्ठ सं. |
|----------|--------------------|--|-----------|
| 1 | महत्वपूर्ण तिथियां | महत्वपूर्ण तिथियां | 1 |
| 2 | महत्वपूर्ण निर्देश | महत्वपूर्ण निर्देश | 1-3 |
| 3 | 1.0 | सामान्य निर्देश | 4-6 |
| 4 | 2.0 | रिक्तियां | 6 |
| 5 | 3.0 | मेडिकल फिटनेस के मानक | 6-7 |
| 6 | 4.0 | राष्ट्रीयता / नागरिकता | 7 |
| 7 | 5.0 | आयु सीमा | 8 |
| 8 | 5.1 | आयु में छूट | 8-9 |
| 9 | 5.2 | उम्मीदवारों की जन्म तिथि | 10 |
| 10 | 6.0 | शैक्षणिक योग्यताएं | 10 |
| 11 | 7.0 | परीक्षा शुल्क | 10-11 |
| 12 | 7.1 | शुल्क भुगतान के तरीके | 11 |
| 13 | 7.2 | अल्पसंख्यकों | 11 |
| 14 | 7.3 | आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) | 11-12 |
| 15 | 7.4 | परीक्षा शुल्क वापसी | 12 |
| 16 | 8.0 | लंबवत आरक्षण | 12 |
| 17 | 8.5 | ओबीसी आरक्षण | 12-13 |
| 18 | 8.13 | ईडब्ल्यूएस (EWS) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण | 13-14 |
| 19 | 9.0 | क्षैतिज आरक्षण | 14 |
| 20 | 10.0 | भूतपूर्व सैनिक | 15-16 |
| 21 | 11.0 | मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) | 16-18 |
| 22 | 11.7 | लेखक के लिए सहायता और प्रतिपूरक समय | 18-19 |
| 23 | 11.7.8 | स्क्राइब का पंजीकरण | 19-20 |
| 24 | 12.0 | वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) | 20 |
| 25 | 13.0 | भर्ती प्रक्रिया | 20 |
| 26 | 13.1 | कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) | 21-23 |
| 27 | 13.2 | दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) | 23 |
| 28 | 14.0 | आवेदन कैसे करें | 23 |
| 29 | 14.2 | खाता बनाएं | 23 |
| 30 | 14.3 | आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश | 24 |
| 31 | 14.4 | आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो कैप्चरिंग | 24-25 |
| 32 | 14.5 | अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज़ | 25-26 |
| 33 | 14.6 | स्क्राइब की सहायता | 26-27 |
| 34 | 14.7 | प्रस्तुत आवेदन विवरण में संशोधन | 27 |
| 35 | 15.0 | कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं | 28 |
| 36 | 16.0 | विभिन्न आरआरबीएस और उनकी वेबसाइटों का विवरण | 28 |
| 37 | 17.0 | आवेदन में संशोधन | 28-29 |
| 38 | 18.0 | अमान्य आवेदन/अस्वीकृतियां | 29 |
| 39 | 19.0 | ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश | 29-30 |
| 40 | 20.0 | मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप | 30 |
| 41 | 21.0 | अनुचित प्रथाओं का उपयोग | 31 |
| 42 | 22.0 | विविध | 31 |
| 43 | 23.0 | इस शताब्दी में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर | 32 |

अनुलग्नकों की सूची

| क्रमांक। | अनुलग्नक सं. | सामग्री | पृष्ठ सं. |
|----------|------------------|--|-----------|
| 1 | अनुलग्नक-ए | पोस्ट पैरामीटर | 33-42 |
| 2 | अनुलग्नक-बी | आरआरबी और जोनवार रिक्ति तालिका | 43-54 |
| 3 | अनुलग्नक-सी | मर्ज किए गए पोस्ट श्रेणियों का विवरण (एमपीसी) | 55-56 |
| 4 | अनुलग्नक- I | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप | 57 |
| 5 | अनुलग्नक- II | ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र का प्रारूप | 58 |
| 6 | अनुलग्नक- II ए | ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों द्वारा स्वघोषणा | 59 |
| 7 | अनुलग्नक- III | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र | 60 |
| 8 | अनुलग्नक- III ए | आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र (ईबीसी) | 61 |
| 9 | अनुलग्नक- IV | दस्तावेज़ सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परीक्षा शुल्क माफ़ी का प्रोफ़ॉर्म | 62 |
| 10 | अनुलग्नक-V (ए) | फॉर्म - V - विकलांगता प्रमाणपत्र (अंग विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनेपन और अंधेपन के मामलों में) | 63 |
| 11 | अनुलग्नक-V (बी) | फॉर्म-VI - विकलांगता प्रमाणपत्र (एकाधिक विकलांगताओं के मामले में) | 64 |
| 12 | अनुलग्नक-V (सी) | फॉर्म-VII - विकलांगता प्रमाणपत्र (फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में) | 65-66 |
| 13 | अनुलग्नक-V (डी) | स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र | 67 |
| 14 | अनुलग्नक-V (ई) | आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र। | 68 |
| 15 | अनुलग्नक-V (एफ) | 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र। | 69 |
| 16 | अनुलग्नक- V (जी) | परीक्षा लिखने के लिए परीक्षार्थी की शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र | 70 |
| 17 | अनुलग्नक- VI | भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणापत्र | 71 |
| 18 | अनुलग्नक- VI (ए) | नियोजित अधिकारियों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप (EXSM) | |

रिक्तियों का विवरण एक नज़र में

| कैटेगरी | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | मेडिकल मानक | कुल रिक्तियां (सभी आरआरबी) |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------------|
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | 5 | बी1 | 183 |
| 2 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन | 2 | ए3 | 28 |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ | 2 | बी1 | 113 |
| 4 | तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज | 2 | बी1 | 19 |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वैगन | 2 | बी1 | 260 |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | बी1 | 105 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) | 2 | बी1 | 168 |
| 8 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस | 2 | बी1 | 444 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | बी1 | 202 |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | बी1 | 108 |
| 11 | तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू | 2 | बी1 | 90 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | बी1 | 213 |
| 13 | तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग | 2 | बी1 | 78 |
| 14 | तकनीशियन ग्रेड III रिवेटर | 2 | बी1 | 10 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | बी1 | 470 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | बी1 | 132 |
| 17 | तकनीशियन ग्रेड III क्रेन ड्राइवर | 2 | बी2 | 55 |
| 18 | तकनीशियन ग्रेड III बढई (कार्यशाला) | 2 | सी1 | 30 |
| 19 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) (कार्यशाला) | 2 | सी1 | 58 |
| 20 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल कार्यशाला (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | सी1 | 104 |
| 21 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल कार्यशाला (पावर और टीएल) | 2 | सी1 | 48 |
| 22 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू और कार्यशाला) | 2 | सी1 | 198 |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | सी1 | 2106 |
| 24 | तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला) | 2 | सी1 | 101 |
| 25 | तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | सी1 | 319 |
| 26 | तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | सी1 | 57 |
| 27 | तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला) | 2 | सी1 | 55 |
| 28 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रिमर (कार्यशाला) | 2 | सी1 | 17 |
| 29 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | सी1 | 28 |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) | 2 | सी1 | 439 |
| कुल रिक्तियां | | | | 6238 |
| आरआरबी-वार एवं रेलवे जोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक 'बी' में दिया गया है। | | | | |

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन (CEN)) संख्या 02/2025

तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल और तकनीशियन ग्रेड-III की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती

महत्वपूर्ण तिथियां

| | |
|--|--------------------------|
| रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना की तारीख | 21-06-2025 |
| ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि | 28-06-2025 |
| ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 28-07-2025 (23.59 hours) |
| प्रस्तुत आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 30-07-2025 |
| संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां [कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी को संशोधित नहीं किया जा सकता है] | 01-08-2025 से 10-08-2025 |
| वे तिथियाँ जिनके दौरान पात्र स्क्राइब उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल में अपने स्क्राइब का विवरण प्रदान करना होगा | 11-08-2025 से 15-08-2025 |

ध्यान दें:

- विस्तृत सीईएन-02/2025 आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा (पैरा 16.0 देखें)। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक इस अधिसूचना के पैरा 16.0 में सूचीबद्ध आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर लाइव कर दिया जाएगा।
- सी.बी.टी., दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा की तिथियां समय-समय पर संबंधित आर.आर.बी. की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सूचित की जाएंगी।
- सीबीटी और एम्पैनलमेंट के परिणाम संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे। नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) 28.07.2025 के 23.59 बजे तक केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।

| क्रमांक | पद | 7वें सीपीसी में वेतन स्तर | प्रारंभिक वेतन (रु.) | चिकित्सा मानक | आयु (यथावत 01-07-2025) | कुल रिक्तियां (सभी आरआरबी) |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल | स्तर-5 | 29200 | बी 1 | 18 – 33 वर्ष | 183 |
| 2 | तकनीशियन ग्रेड-III | स्तर-2 | 19900 | अनुलग्नक-ए देखें | 18 – 30 वर्ष | 6055 |
| कुल योग | | | | | | 6238 |
| आरआरबी-वार और रेलवे जोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक- बी में दिया गया है। (आरआरबी और जोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण) | | | | | | |

महत्वपूर्ण निर्देश:

- कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सीईएन (CEN) में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें।
- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस सीईएन (CEN) के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

iii) केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक के माध्यम से **ऑनलाइन** जमा किए जाने चाहिए। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इस विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक ए (अर्थात् पद-वार पैरामीटर), अनुलग्नक बी (अर्थात् आरआरबी और जोन-वार रिक्ति विवरण) और अनुलग्नक सी (अर्थात् विलयित पद श्रेणियों का विवरण) को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। इस सीईएन (CEN) में दर्शाई गई आरआरबी-वार और रेलवे-वार रिक्तियां अनंतिम हैं और ये संबंधित रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं।

iv) प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग आवेदन जमा करना होगा, क्योंकि प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग सीबीटी आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना आवश्यक है।

v) **आरआरबी का चयन और पदों के लिए प्राथमिकताएं:** उम्मीदवार वेतन स्तर में केवल एक आरआरबी चुन सकते हैं और केवल उसी चुने हुए आरआरबी में, रेलवे जोन और अधिसूचित पदों/श्रेणियों के लिए अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के इच्छुक हैं और पात्र हैं। आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों का केवल उन्हीं रेलवे जोन और केवल उनके द्वारा चुने गए पदों/श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा, जो आवंटन के समय रिक्ति की स्थिति के अधीन होगा। यदि कुछ पदों/श्रेणियों के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है, तो इसे इसके लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार दिए गए विकल्प अंतिम होंगे और किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। जो आवेदक इस सीईएन के तहत एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा आरआरबी और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

ध्यान दें: अनुलग्नक ए (अर्थात् पदवार मापदण्ड) में सूचीबद्ध 30 पद श्रेणियों में से, वेतन स्तर 2 पर 12 पद श्रेणियाँ - जिन्हें आगे मर्ज किए गए पद श्रेणियाँ (एमपीसी) कहा जाएगा - जिनको समान पद मापदण्डों को साझा करने वाले कई पद पदनामों को मर्ज करके बनाई गई हैं। इसलिए प्रत्येक एमपीसी में एक से अधिक पद पदनाम शामिल हैं। इन पदनामों की सूची, उनके संबंधित विभागीय और उप-विभागीय विखंडन के साथ, अनुलग्नक सी (अर्थात् मर्ज किए गए पद श्रेणियों का विवरण) में दी गई है।

यह विलय आवेदन प्रक्रिया को सरल, तेज और उम्मीदवारों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। एमपीसी के तहत सूचीबद्ध उम्मीदवारों को उस एमपीसी के तहत संबंधित विभाग और उप-विभाग के साथ एक पद पदनाम सौंपा जा सकता है, जब वे अपने आवंटित क्षेत्रीय रेलवे को रिपोर्ट करते हैं।

vi) अभ्यर्थियों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अनंतिम मानी जाएगी। आरआरबी पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए, आवश्यकतानुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को पढ़ना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं। आरआरबी द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ मांगे जाएंगे। शैक्षिक योग्यता /आयु/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेज़ों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेज़ों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी झूठी/गलत है या यदि उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।

vii) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी (EBC) स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसा कि शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु-छूट, आदि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, वे इस सीईएन (CEN) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।

viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमों/सीईएन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास उनके दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र नियमों और/सीईएन में निर्धारित, होने चाहिए।

ix) **मेडिकल फिटनेस:** उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद(दों) के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो अभ्यर्थी चयनित पद(पदों) के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

x) **आयु (01.07.2025 को):** ए) तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल के लिए 18-33 वर्ष और
बी) तकनीशियन ग्रेड- III पदों के लिए 18-30 वर्ष (आयु में छूट के बारे में विवरण के लिए कृपया पैरा 5.1 देखें)।

- xii) भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे।
- xiii) सीबीटी के लिए शहर आवंटन, केंद्र आवंटन और सीबीटी के लिए तिथियां, तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता के आधार पर आवंटित की जाएंगी। उम्मीदवारों को सीबीटी में भाग लेने के लिए अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि/केंद्र/तिथि/शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- xiv) उम्मीदवारों को सूचित करते हैं कि वे अपने हित में " क्रिएट एन अकाउंट " चरण के दौरान डिजिलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण से चूक गए हैं, तो वे अभी भी "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग कर और अपने ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान आधार विवरण प्रदान करके प्रमाणित कर सकते हैं। यह कार्रवाई किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले किसी भी समय की जानी चाहिए। इससे उम्मीदवारों को भर्ती के विभिन्न चरणों में सहज प्रक्रिया की सुविधा प्राप्त होगी। यदि आवेदक अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को वैकल्पिक फोटो आईडी के साथ सत्यापित करते हैं, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच के अधीन किया जाएगा।
- xv) ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही आरआरबी सीईएन के दौरान एक खाता बनाया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस सीईएन (यानी, सीईएन नंबर 02/2025) के लिए आवेदन करने के लिए उसी खाते के क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले 'एक खाता बनाना होगा'। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। **'खाता बनाएं' (Create an Account)फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) खाता बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।**
- xvi) ऑनलाइन आवेदन जमा करने और लागू शुल्क (सभी तरह से पूर्ण) के भुगतान के बाद, यदि कोई उम्मीदवार किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है ('खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरणों (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने हुए आरआरबी के विवरण को छोड़कर), तो वह 01.08.2025 से 10.08.2025 तक प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपये (गैर-वापसी योग्य) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। **'खाता बनाएं' (Create an Account)फॉर्म में भरे गए विवरण (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए आरआरबी को नहीं बदला जा सकता है।**
- xvii) 10.08.2025 के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं करेगा।
- xviii) डीवी और मेडिकल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उस आरआरबी के लिए रिक्तियों के 1:1 की दर से आरआरबी-वार की जाएगी। यह सीबीटी में उनकी योग्यता पर आधारित होगा। कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी में उपस्थित होने के लिए उनके ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों के साथ-साथ एसएमएस और ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर) के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- xix) नकारात्मक अंकन: सीबीटी में नकारात्मक अंकन (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक) होगा।
- xx) सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी मूल्यवान/प्रतिबंधित वस्तु न लाएं।
- xxi) **प्रतिबंधित वस्तुएँ:** मोबाइल फोन, पेजर, घड़ियाँ, इयरफोन, ब्लूटूथ सक्षम डिवाइस, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेज़र, पाउच, स्केल, राइटिंग-पैड, बेल्ट, हैंडबैग, कैप, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैकेज्ड/खुले खाद्य पदार्थ परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र के अंदर केवल ई-कॉल लेटर की अनुमति होगी। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर कोई पेन/पेंसिल नहीं ले जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों/पैरों पर मेंहदी न लगाएं क्योंकि इससे बायोमेट्रिक्स कैप्चर करने में बाधा आती है।

प्रामाणिक और समय पर जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटें देखें (नीचे para 16) में सूचीबद्ध)। नकली वेबसाइटों से सावधान रहें - वे भ्रामक और गलत जानकारी दे सकते हैं

1.0 सामान्य निर्देश:

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- 1.2 इस अधिसूचना के तहत पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता और चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सीईएन (CEN) के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित तकनीकी योग्यताएं हैं। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोग पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.3 जो उम्मीदवार इस सीईएन (CEN) के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और आरआरबी और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) की सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन जो सूचना और/या तथ्यों में मामूली बदलाव के साथ एक से अधिक रेलवे और/या एक ही रेलवे के लिए एकाधिक आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।
- 1.4 जो उम्मीदवार वर्तमान में किसी भी आरआरबी/आरआरसी द्वारा वंचित हैं, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- 1.5 जिन उम्मीदवारों को भारत की केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.6 उम्मीदवारों को अकॉउंट क्रिएट करते समय ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि जैसे एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है, वैसे ही दर्ज करना होगा।
 - (ए) एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा प्रमाणपत्र में उल्लिखित नाम के संबंध में नाम में किसी भी परिवर्तन के मामले में, उम्मीदवार को अपना परिवर्तित हुआ नाम और साथ ही अपना एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा का नाम ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों पर अलग से सूचित करना चाहिए। हालांकि, अन्य सभी विवरण एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाणपत्र से मेल खाने चाहिए और इस तरह के बदलाव की तारीख ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख से पहले की होनी चाहिए।
 - (बी) ऐसे मामलों के लिए, परिवर्तित हुए नाम के साथ किसी भी एक वैध फोटो आईडी के साथ राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज सीबीटी-1/सीबीटी-2/सीबीएटी/दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय जमा किया जाए।
- 1.7 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पैरा 14.4.0 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी लाइव छवि अपलोड करें और पैरा 14.5.0 में उल्लिखित मानक विनिर्देशों के अनुसार अपने स्वयं के हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधली, अस्पष्ट या गैर-मानक तस्वीरों और/या हस्ताक्षरों वाले आवेदनों को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकार किया जा सकता है।
- 1.8 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर एक समान और एक जैसे होने चाहिए।
- 1.9 सीबीएटी और डीवी की तिथियां पैरा 16 में दिए गए अनुसार भाग लेने वाले आरआरबी की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी। सीबीएटी और डीवी (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर केवल संबंधित आरआरबी की वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाने चाहिए जैसा कि पैरा 16 में दिया गया है। ई-कॉल लेटर में दर्शाया गया सीबीटी केंद्र, तारीख और शिफ्ट अंतिम होगी, और तारीख/समय/स्थान में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.10 सीईएन (CEN) में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेलवे प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद के चरण में कुल या विशिष्ट समुदायों/इकाइयों में बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं। यदि रेलवे को आवश्यकता हुई तो बाद के चरण में अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं। आरआरबी बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी और/या सीबीएटी (जैसा लागू हो), अतिरिक्त डीवी आदि शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 1.11 रेलवे प्रशासन अपने विवेक से अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसे रद्दीकरण की स्थिति में, सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। (रिफंड की राशि के लिए पैरा 7.0 देखें)
- 1.12 उम्मीदवार की उम्मीदवारी ई-कॉल लेटर जारी करने मात्र से यह नहीं माना जाता कि आरआरबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ-साथ उनके अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की भी जांच की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों को उनकी प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता के साथ-साथ भर्ती के अगले चरणों यानी पीईटी/मेडिकल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन में सत्यापित किया जाएगा।

- 1.13** आरआरबी पात्रता शर्तों (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) का सत्यापन केवल तभी हो सकता है जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में योग्य पाए जाते हैं और दस्तावेज सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय, आरआरबी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल सहायक दस्तावेजों के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों को सत्यापित करेगा। आवेदन में घोषित जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति या पात्रता मानदंडों (जैसे शैक्षिक / तकनीकी योग्यता, आयु, जाति / श्रेणी, चिकित्सा मानक आदि) को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या बाद में, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी, और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत सेवा से हटा दिया जाएगा और इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी और आरआरसी की सभी भविष्य की परीक्षाओं से भी आजीवन वंचित कर दिया जाएगा।
- 1.14 नियुक्ति का अधिकार:** आरआरबी द्वारा चयन उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है। आरआरबी का कार्य केवल जोनल रेलवे के संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र के पूर्ववृत्त सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर नियुक्ति की पेशकश जारी करते हैं। श्रेणी/पद/रेलवे का आवंटन पैनल तैयार करने की तिथि पर उपलब्ध योग्यता/पद वरीयता/ मेडिकल फिटनेस /रिक्तियों के आधार पर होगा। आरआरबी द्वारा श्रेणी/पद/रेलवे के आवंटन के बाद, उम्मीदवार विशिष्ट उस वेतन स्तर के भीतर किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देते हैं।
- 1.15** तकनीशियन पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को जहां भी निर्धारित हो, प्रशिक्षण लेना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल वजीफा का भुगतान किया जाएगा।
- 1.16** चयनित उम्मीदवार जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा और/या क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करेंगे।
- 1.17 पोस्टिंग:** आम तौर पर, एक रेलवे कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा जिसमें उसे पहली नियुक्ति पर तैनात किया गया है और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा। हालाँकि, एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की अत्यावश्यकताओं में रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है, जिसमें भारत के अंदर या बाहर की परियोजना भी शामिल है। जब तक नवनियुक्त उम्मीदवार **कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता**, तब तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी और विचार-विमर्श के साथ अपना आरआरबी चुनें।
- 1.18** चयनित उम्मीदवार, जिन्हें अंतिम रूप से नियुक्त किया गया है, प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी हैं।
- 1.19** आरआरबी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि आरआरबी की चयन प्रक्रिया में कोई अनजाने में हुई त्रुटि/टाइपोग्राफिकल गलती पाई जाती है, तो वह परिणाम को रद्द/संशोधित कर सकता है। यह पद पैनल में शामिल करने सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में होता है। साथ ही, रेलवे में उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा, आरआरबी ऐसे उम्मीदवारों को चयन पैनल से हटाने और रेलवे से उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि वे पहले से ही नियुक्त हैं, तो उन्हें रेलवे सेवा से हटाया जा सकता है।
- 1.20 निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा:** एससी और एसटी उम्मीदवारों (अनुरोध पर) के लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास, चयन के विभिन्न चरणों अर्थात् सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/मेडिकल परीक्षा (जैसा लागू हो) के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार, उनके ई-कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा। ट्रेन आरक्षण बुक करते समय और यात्रा करते समय, उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए मूल एससी और एसटी समुदाय प्रमाण पत्र संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारियों को दिखाना होगा। इस मुफ्त यात्रा सुविधा के किसी भी दुरुपयोग से चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोक भी शामिल है।
- 1.21** आरआरबी सीईएन (CEN) के तहत आवश्यकतानुसार और किसी भी स्तर पर लागू भर्ती के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 1.22** आरआरबी, उम्मीदवारों की सहमति से, इस भर्ती में प्राप्त उनके अंक (अंक) अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ उनकी भर्ती के लिए साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/इनकार का उल्लेख करना चाहिए।
- 1.23** उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से काफी पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम समय की किसी भी भीड़ से बचें। अंतिम दिनों के दौरान भारी इंटरनेट या वेबसाइट ट्रैफिक की संभावना के कारण इस सावधानी की अनुशंसा की जाती है।

उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन (CEN) के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (10:00 AM to 5:00 PM सभी कार्य दिवसों पर)

Email: rrbhelp@csc.gov.in

फ़ोन: 9592001188/01725653333

यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं तो आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा।

2.0 रिक्तियां: कृपया ध्यान दें कि ये रिक्तियां रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं (संशोधित रिक्ति तालिका तदनुसार प्रकाशित की जाएगी)। इस सीईएन (CEN) में विभिन्न पदों के पैरामीटर (यानी, योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता आदि) **अनुलग्नक A** में हैं और आरआरबी-वार रिक्तियां **अनुलग्नक B** में हैं।

3.0 मेडिकल फिटनेस के मानक: डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेलवे सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा फिटनेस है। विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सा आवश्यकताएँ नीचे दी गई हैं:

| क्रमांक | चिकित्सा मानक | सामान्य फिटनेस | दृष्टि मानक |
|---------|---------------|------------------------------|---|
| 1 | ए-3 | शारीरिक रूप से हर तरह से फिट | i) दूर दृष्टि: चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9, 6/9 (लेंस की शक्ति 2डी से अधिक नहीं), ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, और iii) कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा |
| 2 | बी 1 | शारीरिक रूप से हर तरह से फिट | i) दूर दृष्टि: 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के (लेंस की क्षमता 4डी से अधिक नहीं), ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना जब पढ़ना या बंद काम करना आवश्यक हो, और iii) कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा। |
| 3 | बी 2 | शारीरिक रूप से हर तरह से फिट | i) दूर दृष्टि: चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9, 6/12 (लेंस की क्षमता 4डी से अधिक नहीं होनी चाहिए)। ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना जब पढ़ना या बंद काम करना आवश्यक हो, और iii) दूरबीन दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा। |
| 4 | सी 1 | शारीरिक रूप से हर तरह से फिट | i) दूर दृष्टि: चश्मे के साथ या उसके बिना 6/12, 6/18 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना जब पढ़ना या पास का काम करना आवश्यक हो |

टिप्पणी:

(ए) उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक और संपूर्ण नहीं हैं और सामान्य रूप से सभी उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। विवरण के लिए, उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड-1 के अध्याय 5 को पढ़ने की सलाह दी जाती है। जिसे www.Indianrailways.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट और पात्र हैं।

(बी) जिन उम्मीदवारों ने दुर्दम्य त्रुटि को ठीक करने के लिए LASIK सर्जरी या किसी अन्य सर्जिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, वे उन पदों के लिए पात्र नहीं हैं जिनके लिए मेडिकल मानक A3 की आवश्यकता होती है।

(सी) भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड-1 के पैरा 534 में वर्णित अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए मेडिकल मानक अलग-अलग हैं। जिसे www.Indianrailways.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।

(डि) यदि किसी उम्मीदवार को केवल मेडिकल फिटनेस के आधार पर किसी वेतन स्तर में कोई पद आवंटित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को पुनर्विचार के लिए निर्धारित शुल्क के साथ एक सुधारात्मक मेडिकल अपील प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जा सकता है।

जो उम्मीदवार अनुमत समय सीमा के भीतर मेडिकल अपील का लाभ उठाते हैं, और जिनकी अपील सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जाती है, उन्हें अपील मेडिकल परीक्षा के परिणाम को अंतिम और बाध्यकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आगे कोई अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने मेडिकल अपील विकल्प का लाभ नहीं उठाया है, उनके लिए प्रारंभिक मेडिकल परीक्षा परिणाम पर विचार किया जाएगा।

यदि उम्मीदवार को वेतन स्तर में कोई एक पद आवंटित किया जाता है, तो वह उसी वेतन स्तर के भीतर किसी अन्य पद या श्रेणी के लिए विचार किए जाने के अधिकार को खो देता है। ऐसे परिदृश्यों में आगे कोई मेडिकल अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उदाहरण के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टेक III में एक ही वेतन स्तर के भीतर विभिन्न पदों के अलग-अलग मेडिकल मानक हैं, अर्थात् A3, B1 और C1। ऐसे मामलों में जहां कोई उम्मीदवार उच्चतर वरीयता वाले पदों के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया जाता है, लेकिन उसी वेतन स्तर के भीतर कम वरीयता वाले पद के लिए फिट पाया जाता है, तो उस पद पर आवंटन किया जाएगा जिसके लिए उम्मीदवार चिकित्सकीय रूप से फिट है, जो आवंटन के समय योग्यता, पात्रता और रिक्ति के अधीन है। ऐसे मामलों में आगे कोई चिकित्सा अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.0 राष्ट्रीयता/नागरिकता:

(ए) एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए:

- (i) भारत का नागरिक, या
- (ii) नेपाल का नागरिक, या
- (iii) भूटान का विषय, या
- (iv) एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 01.01.1962 से पहले भारत आया था, या
- (v) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो। .
- (vi) बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(बी) जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

5.0 आयु सीमा:

| पद | इस CEN के लिए लागू आयु (01.07.2025 को) |
|-----------------------------------|--|
| तकनीशियन ग्रेड- I (सिग्नल) के लिए | 18 से 33 वर्ष |
| तकनीशियन ग्रेड-III | 18 से 30 वर्ष |

5.1 आयु में छूट - नीचे दी गई तालिकाओं में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा करने के पर लागू है।

**तालिका 1: तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल के लिए (7वें सीपीसी के तहत वेतन स्तर 5)
(आयु समूह: 18- 33 वर्ष)**

| क्रम संख्या | समुदाय/श्रेणी | ऊपरी आयु सीमा में छूट / अधिकतम ऊपरी आयु |
|-------------|---|---|
| 1 | SC & ST उम्मीदवार | 5 साल |
| 2 | OBC (Non-Creamy Layer) उम्मीदवार | 3 साल |
| 3 | Ex-servicemen अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद छह महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो | Ex-servicemen (यूआर & ई डब्लू एस) 3 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद) Ex-servicemen (ओबीसी (एनसीएल)) 6 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद) Ex-servicemen (एससी और एसटी) 8 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद) |
| 4 | बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD) | पीडब्ल्यूबीडी - यूआर & ई डब्लू एस 10 वर्ष पीडब्ल्यूबीडी -ओबीसी (एनसीएल) 13 वर्ष पीडब्ल्यूबीडी - एससी और एसटी 15 वर्ष |
| 5 | वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप 'सी' और पूर्व ग्रुप 'डी' रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ-साथ निरंतर या अलग-अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत हैं। | यूआर & ई डब्लू एस 40 साल की उम्र ओबीसी (एनसीएल) 43 साल की उम्र एससी और एसटी 45 साल की उम्र |
| 6 | उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम कर रहे हैं | प्रदान की गई सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष, जो भी कम हो। |
| 7 | महिला उम्मीदवार, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है। | (यूआर & ई डब्लू एस) 35 साल की उम्र ओबीसी (एनसीएल) 38 साल की उम्र एससी और एसटी 40 साल की उम्र |

**तालिका 2: तकनीशियन ग्रेड III के लिए (7वें सीपीसी के तहत वेतन स्तर 2)
(आयु समूह: 18- 30 वर्ष)**

| क्रम संख्या | समुदाय/श्रेणी | ऊपरी आयु सीमा में छूट / अधिकतम ऊपरी आयु | |
|-------------|---|---|---|
| 1 | एससी और एसटी उम्मीदवार | 5 साल | |
| 2 | ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार | 3 साल | |
| 3 | Ex-servicemen अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद छह महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो | Ex-servicemen (यूआर & ई डब्लू एस) | 3 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद) |
| | | Ex-servicemen (ओबीसी - एनसीएल) | 6 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद) |
| | | Ex-servicemen एससी और एसटी | 8 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद) |
| 4 | बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD) | पीडब्ल्यूबीडी -(यूआर & ई डब्लू एस) | 10 वर्ष |
| | | पीडब्ल्यूबीडी- ओबीसी (एनसीएल) | 13 वर्ष |
| | | पीडब्ल्यूबीडी - एससी और एसटी | 15 वर्ष |
| 5 | वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप 'सी' और पूर्व ग्रुप 'डी' रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ-साथ निरंतर या अलग-अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत हैं। | (यूआर & ई डब्लू एस) | 40 साल की उम्र |
| | | ओबीसी (एनसीएल) | 43 साल की उम्र |
| | | एससी और एसटी | 45 साल की उम्र |
| 6 | उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम कर रहे हैं | प्रदान की गई सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष, जो भी कम हो। | |
| 7 | महिला उम्मीदवार, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है। | (यूआर & ई डब्लू एस) | 35 साल की उम्र |
| | | ओबीसी (एनसीएल) | 38 साल की उम्र |
| | | एससी और एसटी | 40 साल की उम्र |
| 8 | कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस जो उस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई/कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप है। | प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षु प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी। (अधिकतम 3 वर्ष) | |
| 9 | कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत अपनी प्रशिक्षुता शुरू कर दी है। | (यूआर & ई डब्लू एस) | 35 साल की उम्र |
| | | ओबीसी (एनसीएल) | 38 साल की उम्र |
| | | एससी और एसटी | 40 साल की उम्र |

5.2 उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियां सम्मिलित)

| आयु वर्ग (वर्षों में) | जन्मतिथि (इससे पहले नहीं) | | | जन्म तिथि (इससे बाद नहीं) |
|--------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|
| | UR & EWS | OBC (NCL) | SC & ST | सभी उम्मीदवार |
| 18 - 33 | 02.07.1992 | 02.07.1989 | 02.07.1987 | 01.07.2007 |
| 18 - 30 | 02.07.1995 | 02.07.1992 | 02.07.1990 | 01.07.2007 |

i) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे उन सभी छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है (संचयी नहीं)।
ii) यूआर रिक्तियों के खिलाफ आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी।
iii) यूआर रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल पीडब्ल्यूबीडी (यूआर) के लिए लागू आयु में छूट दी जाएगी - उपयुक्तता की शर्तों के अधीन।
iv) PwBD और ExSM उम्मीदवारों को आयु में छूट उपरोक्त पैरा 5.1 के अनुसार दी जाएगी।

5.3 महत्वपूर्ण: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्मतिथि वही होनी चाहिए जो उनके मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। जन्मतिथि में बदलाव के किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। **जन्मतिथि में कोई भी अंतर होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।**

6.0 शैक्षणिक योग्यताएं:

(ए) कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्नक-ए देखें।

(बी) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (यानी, 28.07.2025) तक उम्मीदवारों के पास पहले से ही मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सीईएन (CEN) में निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए।

(सी) निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता की अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आवेदन नहीं करना चाहिए।

(डी) वेतन स्तर -2 में तकनीशियनों के पद के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अपरेटिस/आईटीआई के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप (सीसीएए) के बदले में ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ध्यान दें: शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्रों जैसे कि प्रोविजनल या नियमित प्रमाणपत्रों में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की तारीख अधिसूचना की अंतिम तारीख के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा की घोषणा की तारीख के साथ समेकित अंक पत्र या प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ सभी सेमेस्टर/वर्षों की व्यक्तिगत अंक पत्रक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि इनमें से किसी भी प्रमाणपत्र में तारीख उपलब्ध नहीं है, तो डीवी के समय बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिणाम की घोषणा की तारीख दर्शाने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7.0 परीक्षा शुल्क: उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपने समुदाय/श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

| क्रम संख्या | अभ्यर्थियों की श्रेणियाँ/समुदाय | शुल्क(Fee) |
|-------------|--|--------------------|
| 1 | सभी उम्मीदवारों के लिए (क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर)। CBT में उपस्थित होने पर 500/- रुपये के इस शुल्क में से 400/- रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। | 500/- रुपये |
| 2 | उन उम्मीदवारों के लिए जो SC,ST, Ex-Servicemen, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या Economically Backward Class (EBC) से संबंधित हैं। (उम्मीदवारों के लिए सावधानी: ईबीसी (EBC)को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए) 250/- रुपये का यह शुल्क CBT में उपस्थित होने पर , लागू बैंक शुल्कों की कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा। | 250/- रुपये |

ध्यान दें: 1) प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना आवश्यक है।
2) केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा।

***महत्वपूर्ण नोट:** कृपया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) श्रेणी के तहत रियायत का दावा करने से पहले इस सीईएन के पैराग्राफ 7.3 को ध्यान से पढ़ें। रियायती शुल्क चाहने वाले उम्मीदवार के पास आवेदन भरते समय एक वैध दस्तावेज होना चाहिए - यानी ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक - IIIA) या बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई भी प्रमाण पत्र। उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रासंगिक विवरण दर्ज करना होगा और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय मूल रूप से इसे जमा करना होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि यानी 28.07.2025 के बाद जारी ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक - IIIA), बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जो इस सीईएन के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले जारी वैध दस्तावेज यानी ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक - IIIA), बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7.1 शुल्क भुगतान के तरीके:

ए) केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।

बी) उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।

सी) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (पारसी) शामिल होंगे, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (28.07.2025) तक प्राप्त संशोधन/विलोपन/समावेशन, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ पत्र: परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर डीवी के समय अनुलग्नक IV के प्रारूप में अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी-EBC) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय **50,000** रुपये से कम है और वे रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (उपरोक्त पैरा 7.0 के अनुसार)। इसके लिए उनके पास होना चाहिए:

ए) जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक III ए पर) में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र। निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा संसद सदस्य
- (3) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के मौजूदा संसद सदस्य, जहां ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।
- (4) केन्द्रीय मंत्री देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति के लिए।

(या)

बी) बीपीएल कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र

(या)

सी) रेलवे द्वारा जारी Izzat MST

सभी ईबीसी (EBC) उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी (EBC) प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड/इज्जत एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए और डीवी के समय इसे मूल रूप में भी जमा करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

ध्यान दें: आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं। इस अनुच्छेद के तहत परिभाषित आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का उम्मीदवार केवल फीस में छूट का हकदार है, नौकरी में आरक्षण का नहीं।

7.4 परीक्षा शुल्क की वापसी (सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए):

(ए) सभी उम्मीदवारों को अपने परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (यानी, रु. 400/- या रु. 250/- जैसा लागू हो, बैंक शुल्क घटाकर) प्राप्त करने के लिए उनके आवेदन पत्र में बैंक विवरण (बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी (IFSC) कोड) का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।।

(बी) सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है और आरआरबी इस आधार पर उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।

7.5 गलत/अपूर्ण लाभार्थी विवरण और त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क की कोई धनवापसी नहीं की जाएगी।

8.0 लंबवत आरक्षण:

8.1 यह सीईएन (CEN) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस-EWS), अनुसूचित जाति (एससी-SC), अनुसूचित जनजाति (एसटी-ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) (ओबीसी-एनसीएल-OBC-NCL) के लिए मौजूदा नियमों के तहत जहां भी लागू और स्वीकार्य हो और जैसा कि इंडेंटिंग रेलवे द्वारा सूचित किया गया है, लंबवत आरक्षण प्रदान करता है। (रिक्ति तालिका में विवरण देखें।)

नोट:

- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक समान नहीं हैं, बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं।
- ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जहां भी लागू और स्वीकार्य हैं, नौकरी आरक्षण के लिए पात्र हैं।
- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवार (उपर्युक्त पैरा 7.3 के तहत परिभाषित) नौकरी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

8.2 समुदाय की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को सामान्य यानी unreserved (UR) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (UR के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन)। हालाँकि, विशिष्ट समूहों [जैसे, SC, ST, OBC (NCL) & EWS] के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उस समुदाय/श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी। केवल वे समुदाय आरक्षण के लिए पात्र हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) के रूप में मान्यता दी गई है।

8.3 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, ईडब्ल्यूएस (EWS), एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को डीवी के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुलग्नक-I (एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए), अनुलग्नक-II (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और अनुलग्नक-III (ईडब्ल्यूएस (EWS) उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

8.4 "क्रीमी लेयर" में आने वाले ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

8.5 "ओबीसी श्रेणी" के तहत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II) में ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो 01 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद जारी किया गया हो, लेकिन इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से बाद का नहीं होना चाहिए। प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि और प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की जानी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवार की जाति ओबीसी की वर्तमान अद्यतन केंद्रीय सूची (<http://www.ncbc.nic.in>) में सूचीबद्ध होनी चाहिए।

दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के दौरान, आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को ऊपर बताए अनुसार ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और अनुलग्नक IIA में दिए गए प्रारूप में एक स्व-घोषणा भी देनी होगी, जिसमें कहा गया हो कि वे "आवेदन की अंतिम तिथि पर क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं।" ऐसा न करने पर उनके आरक्षण के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा (क्योंकि ओबीसी-एनसीएल) और उन्हें अनारक्षित (यूआर) उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि वे यूआर उम्मीदवारों के लिए लागू आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

- 8.6** ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि "यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(निवास) द्वारा संशोधित किया गया है*" (*इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आगे संशोधन, यदि कोई हो, प्राप्त हुआ है)।
- 8.7** कृपया ध्यान दें: अन्य पिछड़ा वर्ग , जो राज्य सूची में मौजूद है, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है (<http://www.ncbc.nic.in> पर नवीनतम सूची के अनुसार), वैसे वर्ग ओबीसी आरक्षण का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- 8.8** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में: सुप्रीम कोर्ट डब्ल्यूपी© 1052/2021 सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के बीच, दिनांक 21.02.2022 के निर्णय, वे उम्मीदवार जो (ए) मूल रूप से लोहार/लोहारा/लोहरा जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य से संबंधित हैं या केवल बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें अपनी नवीनतम जाति (जो (ए) एसटी का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म-II के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक-I के अनुसार है या (बी) ओबीसी-एनसीएल का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म- VIIए के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक-II के अनुसार है) जमा करनी चाहिए जो 01.04.2023 के बाद ही जारी की गई हो और साथ ही यह आवेदन पत्र में उल्लिखित एसटी/ओबीसी-एनसीएल के रूप में उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पर मान्य होनी चाहिए।
- 8.9** डॉ भीमराव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य और अन्य के बीच सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या 18802/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, दिनांक 15.07.2024 का निर्णय, जिन उम्मीदवारों के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले जारी एसटी/एससी का समुदाय प्रमाण पत्र है और साथ ही (ए) मूल रूप से पैन/पैनआर/सवासी/तांती-तंतवा (तांती-तंतवा) जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य के हैं या केवल बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें नवीनतम जाति प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करना चाहिए जो 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किया गया हो, जिसमें उनके समुदाय और जाति को संशोधित/जोड़ दिया गया हो. उनके समुदाय और जाति/जनजाति को उनकी संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार भर्ती के लिए विचार किया जाएगा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय दि.01.09.2024 को या उसके बाद लिया गया नया जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा, अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा।
- 8.10** किसी उम्मीदवार की समुदाय या श्रेणी की स्थिति, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में घोषित किया गया है, आरक्षण लाभों के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करेगी। किसी भी कारण से समुदाय की स्थिति में कोई भी बाद में परिवर्तन, इस भर्ती प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होगा।
- 8.11** यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे जिस आरक्षण का दावा कर रहे हैं, उसके लिए वे पात्र हैं। उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं कर ली जाती।
- 8.12** उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि किसी भी स्तर पर एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस स्थिति का कोई धोखाधड़ी वाला दावा या किसी अन्य लाभ का दुरुपयोग सामने आता है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी। ऐसी कार्रवाइयों के लिए कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।
- 8.13 ईडब्ल्यूएस (EWS) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण:**
 ऐसे उम्मीदवार जो एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है। आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से होने वाली आय भी शामिल होगी। इस सीईएन संख्या 02/2025 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 होगा क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 28.07.2025 है। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या है, उन्हें पारिवारिक आय की परवाह किए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा: i. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
 ii. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
 iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस (EWS) स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को जोड़ा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र केवल ईडब्ल्यूएस (EWS) से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त

ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो

घ) उस क्षेत्र का उपमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस सीईएन (CEN) के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाणपत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य भरना होगा। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।)

9.0 क्षैतिज आरक्षण:

9.1 यह सीईएन (CEN) पूर्व सैनिकों (Ex-Serviceman) और पीडब्ल्यूबीडी (PwBD) के लिए उनके सामाजिक समुदाय की परवाह किए बिना क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान करता है।

9.2 रिक्त तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में ExSM और PwBD के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं। हालाँकि, जहाँ PwBD के लिए रिक्तियों को बैकलॉग रिक्तियों (समुदाय के किसी भी संकेत के बिना) के रूप में अलग से दिखाया गया है, ये अतीत की बैकलॉग रिक्तियाँ हैं और इस CEN में दर्शाई गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में शामिल नहीं हैं।

9.3 भूतपूर्व सैनिक विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पात्र हैं। यदि किसी पद के लिए ऐसी कोई रिक्तियां आरक्षित नहीं हैं, तो भी वे नियमित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, वे आयु में छूट और शुल्क में छूट के लिए पात्र बने रहेंगे।

9.4 इसी तरह, दिव्यांग उम्मीदवार किसी पद की नियमित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही उस पद के लिए उनके लिए कोई रिक्तियां विशेष रूप से आरक्षित न हों, बशर्ते कि वह पद उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त हो। ऐसे मामलों में, वे आयु में छूट और शुल्क में छूट के लिए पात्र बने रहेंगे।

9.5 यदि दिव्यांगता की उस श्रेणी के अंतर्गत उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकती हैं, तो ऐसी रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी और उन्हें इस अधिसूचना के लिए कमी के रूप में माना जाएगा।

9.6 नोट: हालाँकि, इस सीईएन (CEN) में दर्शाई गई बैकलॉग रिक्तियों के लिए, यदि किसी विशिष्ट विकलांगता वाले PwBD उम्मीदवार (जिनके लिए बैकलॉग रिक्तियां निर्धारित हैं) उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें अन्य विकलांगता वाले PwBD उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, जिनके लिए पद उपयुक्त है। इसके बाद, किसी भी विकलांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार (जिसके लिए पद उपयुक्त के रूप में पहचाना गया है) की अनुपलब्धता के मामले में, रिक्त बैकलॉग रिक्तियों को योग्यता के क्रम में उस सीमा तक नियमित (गैर-पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

10.0 भूतपूर्व सैनिक:

10.1 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (चाहे लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) में सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने Defence Security Corps., the General Reserve Engineering Force, the Lok Sahayak Sena and the Para Military Forces में सेवा की हो।

और

(ए) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या ऐसी सेवा से मुक्त या मुक्त हो गया है, चाहे वह अपने अनुरोध पर या अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो; (या)

(बी) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; (या)

(सी) जिसे स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)

(डी) जिसे सेवाकार्य की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी, या सेवामुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और उसे ग्रेजुटी दी गई है; और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटे हुए दौर के लिए पेंशन धारक; (या)

(ई) सेना डाक सेवा के कार्मिक (Army Postal Service) जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर मुक्त किए गए हैं या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण सेवानिवृत्त हुए हैं या चिकित्सा या अन्य विकलांगता के कारण, पेंशन प्रदान की गई; (या)

(एफ) कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; (या)

(जी) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (या)

(हेच) भूतपूर्व रंगरूट (Ex-recruits) चिकित्सा आधार पर बाहर कर दिया गया या कार्यमुक्त कर दिया गया और दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की गई।

10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर पूर्व सैनिक की श्रेणी में आएं, नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तथा पूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते। तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कार्मिक जो इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त हो गए हैं, वे भी पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों तथा उनके लिए आरक्षित न किए गए पदों दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से भर्ती प्रक्रिया में एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर पूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह स्वयं इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्त हुआ है, अर्थात्, उस पर दस्तावेज सत्यापन की तारीख तक विचार किया जा सकता है, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है। हालांकि, उनके पास इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए।

10.3 सशस्त्र सेवा कार्मिक जो आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पर सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, उन्हें अनुलग्नक VI (ए) के अनुसार "सेवा से छुट्टी की संभावित तारीख के साथ रोजगार प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक वैध है। इसके अलावा, दस्तावेज सत्यापन के समय पूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए अनुलग्नक VI के अनुसार उपक्रम की स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

10.4 पूर्व सैनिकों उम्मीदवार जो पहले से ही केंद्र सरकार के तहत समूह 'सी/पूर्व समूह 'डी' (पीएसयू, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित (Group 'C/ erstwhile Group 'D' (PSUs, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) में कार्यरत हैं, **पूर्व सैनिकों** को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद, वे केवल केंद्र सरकार के तहत ग्रुप 'सी/ पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' (Group 'C/ erstwhile Group 'D') में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और नागरिक रोजगार हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.5 यदि कोई पूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, बशर्ते कि एक पूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होते ही रोजगार, को इस सीईएन (CEN) के लिए आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनपत्र देना चाहिए। सिविल नियोक्ता से एनओसी के साथ इस घोषणा की स्वीकृत प्रति डीवी के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी गई हैं और जहां भी पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

10.6 पूर्व सैनिक का मेडिकल मानक भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम 1 के पैरा 534 के अनुसार होगा, जिसे [www. Indianrailways.gov.in](http://www.Indianrailways.gov.in) पर देखा जा सकता है।

11.0 मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)

11.1 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 'मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता' कॉलम के अंतर्गत प्रत्येक पद के लिए उपयुक्तता, अनुदिव्यांगता विवरण सहित, पद-मापदंड सारणी (**अनुलग्नक-A**) में दर्शाए गए हैं।

मानक दिव्यांगता :- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूबीडी) के अनुसार (दिनांक 19.04.2017 से लागू) मानक दिव्यांगता निम्नानुसार हैं :-

- नेत्रहीन और पूर्ण दृश्यता न होना (वीआइ);
- बधिर और कम सुनाई देना (एचआइ);
- लोकोमोटर अक्षमता (एलडी) जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी), कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए, बौनापन, ऐसीड फेंके जाने से पीड़ित और मांसपेशीय दुर्बिकता शामिल हैं;
- ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;
- बहु अक्षमताओं वाले व्यक्ति - बधिर-नेत्रहीन सहित खंड (a) से (d) के अंतर्गत आने वाली अक्षमताओं में से प्रत्येक पद के लिए चिह्नित अक्षमताओं में से एक से अधिक अक्षमता वाले व्यक्ति।

11.2 विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा: -

1. शारीरिक अक्षमता: -

A) लोकोमोटर अक्षमता (पेशी-कंकाल प्रणाली की व्याधि अथवा तांत्रिका प्रणाली की व्याधि या दोनों व्याधियों के कारण स्वयं को और वस्तुओं को गति प्रदान करने से संबंधित विशिष्ट क्रियाओं को कर सकने में किसी व्यक्ति की अक्षमता, जिसके कारण शरीर के अंगों का संचालन प्रतिबंधित हो), जिसमें: -

- "कुष्ठ रोग से स्वस्थ व्यक्ति"** - अर्थात जो कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुआ है, परंतु निम्नलिखित से पीड़ित है: -
 - बिना किसी स्पष्ट विकृति के हाथों एवं पैरों में चेतना की कमी के साथ आँख और पलकों में पक्षाघात;
 - स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, परंतु उनके हाथों और पैर में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य गतिविधि करने में योग्य हों;
 - अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ अत्याधिक आयु, जो उन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय करने से रोके और "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।
- "प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी)"** का अर्थ, किसी व्यक्ति के जन्म पूर्व, नवजात अवस्था अथवा शैशव काल में विकास के दौरान एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में मस्तिष्क दोष अथवा चोट के परिणामस्वरूप शरीर की गतिविधियों और माँस पेशियों के समन्वय का प्रभावित होना।
- "बौनापन"** - अर्थात वह चिकित्सा या जेनेटिक स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप व्यस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 ईंच (7 सेंटीमीटर) या कम होती है;
- "मांसपेशीय दुर्बिकता"** - अर्थात वंशानुगत अनुवांशिक मांसपेशी बीमारी का समूह, जो मानव शरीर के मांसपेशीयों को कमजोर करता है और बहु दुर्बिकता वाले व्यक्तियों के गुणसूत्रों में गलत और कम जानकारी होती है, जो स्वस्थ मांसपेशी के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। प्रगतिशील अस्थि-पंजर संबंधी मांसपेशीयों की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन में खराबी और मांसपेशी की कोशिकाओं की मृत्यु और ऊतकों की मृत्यु इसके लक्षण हैं।

- (e) "एसिड हमले का शिकार" - अर्थात एसिड या उसी प्रकार की संक्षारक वस्तु फेंके जाने के हिंसक हमले के कारण विकृत व्यक्ति है।
- (f) किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना **रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई)**। किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई व्यक्तियों को लोकोमोटर अक्षमता के अंतर्गत सभी उप श्रेणी अक्षमता के लिए उपयुक्त माना जाएगा। एसडी/एसआई से संबंधित अंगों की शिथिलता वाले व्यक्तियों को, जैसा मामला हो, संबंधित उप श्रेणी जैसे ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए के अंतर्गत शामिल किया जाएगा,।

B) दृष्टि क्षीणता-

(a) "दृष्टिहीनता" का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें सबसे अच्छे सुधार के बाद किसी व्यक्ति की स्थिति निम्न में से है-

- (i) दृश्यता का पूरी तरह से अभाव; या
- (ii) सबसे अच्छे सुधार के बाद बेहतर आँख की दृश्यता उचित लेंसों के साथ 3/60 अथवा 10/200 (स्त्रेलन) से कम हो; या
- (iii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 10 डिग्री या इससे कम कोण पर होना।

(b) "कम दृश्यता" का अर्थ उस स्थिति से है, जहाँ व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार होती है, जैसे:-

- (i) सबसे अच्छे सुधार के बाद बेहतर आँख की दृष्टि तीक्ष्णता, उचित लेंसों के साथ 6/18 अथवा 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्त्रेलन) तक से अधिक न हो; या
- (ii) दृश्यता के क्षेत्र की परिसीमा का विस्तार 40 डिग्री से 10 डिग्री कोण तक सीमित होना।

C) श्रवण क्षति—

(a) "बधिर" का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की श्रवण आवृत्ति में 70 डीबी का हास है;

(b) 'कम सुनना' अर्थात वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की श्रवण आवृत्ति में 60 डीबी से 70 डीबी का हास है।

D) 'वाक् और भाषा अक्षमता' का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिसमें गला संबंधी (लार्यनजेक्टोमी) या स्वरलोप जैसी स्थिति द्वारा उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. **बौद्धिक अक्षमता** का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें बौद्धिक कार्य (तर्क, सीखने, समस्या सुलझाने) और अनुकूली व्यवहार, जिसमें दैनिक कार्यकलाप, सामाजिक व व्यवहारिक कुशलता शामिल है, में महत्वपूर्ण कमी के लक्षण दिखते हैं के साथ साथ। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(a) "विशिष्ट सीखने की अक्षमता" अर्थात विषम परिस्थितियों का वह समूह जिसमें भाषा बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी में या गणित गणना करने में कठिनाई होती है और जिसमें अवधारणात्मक अक्षमता, वाक् विकार, डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलिया, दुष्क्रिया और विकासात्मक स्वरलोप इत्यादि जैसी स्थितियाँ शामिल होती हैं।

(b) "स्वलीनता विस्तार विकार (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर)" अर्थात स्नायु विकासात्मक स्थिति है, जो जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद क्षमता, रिश्तों को समझने और दूसरे संबंध बनाने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है और जो हमेशा असामान्य या रूढ़िबद्ध संस्कार या व्यवहारों के साथ जुड़ा होता है।

3. **मानसिक व्यवहार - "मानसिक बीमारी"** अर्थात सोच, मनोदशा, धारणा, झुकाव या स्मरण शक्ति में अत्यधिक विकार, जिसके कारण निर्णय क्षमता, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है, परंतु जिसमें मंदता जो किसी व्यक्ति के दिमाग का अधूरा विकास या अवरूद्ध होने की स्थिति है, सम्मिलित नहीं है और बुद्धि की उप-सामान्यता इसकी विशेषता है।

(4) अक्षमता उत्पन्न होने के कारण -

(a) कालक्रमबद्ध न्यूरोलॉजिकल स्थिति, जैसे-

(i) "बहु काठिन्य (मल्टीपल स्क्लेरोसिस)" अर्थात एक अभिज्वालय तंत्रिका तंत्र रोग, जिसमें मस्तिष्क तथा मेरुदंड की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के चारों ओर लगा माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप डीमायलीनेशन होता है और मस्तिष्क तथा मेरुदंड की तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संवाद बाधित होता है।

(ii) "पार्किंसंस रोग" का तात्पर्य तंत्रिका तंत्र के एक ऐसी प्रगतिशील बीमारी से है, जिसके लक्षण कंपन, मांसपेशियों का अकड़ जाना, धीमी और अनिश्चित गति हैं, जो अथेड उम्र तथा बूढ़े लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है, और जो मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया की अवनति तथा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से संबंधित है।

(b) रक्त विकार -

- (i) **"हीमोफीलिया"** एक अनुवांशकीय बीमारी है, जो सामान्यतया पुरुषों में होती है, किंतु महिला से उनके पुत्रों को संप्रेषित होने वाली है, जिसमें खून के थक्के बनने की क्षमता में कमी या नुकसान होता है, जिससे छोटे घाव में भी घातक रक्तस्राव होता है;
- (ii) **"थैलेसीमिया"** एक ऐसा अनुवांशकीय रोग है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति के लक्षण पाए जाते हैं।
- (iii) **"सिकल सेल रोग"** एक रक्तलायी (हेमोलाइटिक) विकार है, जिसमें ऊतकों तथा अवयवों को नुकसान पहुँचाने के कारण क्रोनिक एनीमिया, दर्द के दौरों तथा कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, "हेमोलिटिक" बीमारी में लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली को क्षति पहुँचाने के कारण हीमोग्लोबिन का स्राव होता है।

(5). **बहु अक्षमताएँ** (जिसमें ऊपर बताई गई विशेष बीमारियों में एक से अधिक हों) बधिर, अंधापन सहित, ऐसी स्थिति, जिसमें व्यक्ति को सुनने के साथ साथ देखने संबंधी कमजोरी हो, जिसके कारण संपर्क, विकास तथा शिक्षा संबंधी गंभीर समस्याएँ हों। बहु अक्षमताएँ श्रेणी के अंतर्गत केवल वे उम्मीदवार योग्य हैं जो कि दिए गए पद के लिए चिन्हित अक्षमताओं में से एक से अधिक अक्षमताएँ रखते हैं।

(6). **अन्य कोई कोटि**, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो।

11.3 आरक्षण के लिए बेंचमार्क अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी: केवल ऐसे व्यक्ति ही पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे, जो प्रासंगिक मानक दिव्यांगता के 40% प्रतिशत से कम दिव्यांगता से ग्रस्त नहीं होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जिन्होंने छूट और/या आरक्षण का लाभ उठाया है और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं, उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अध्याय 7 के अंतर्गत **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 की दिनांक 14 मार्च 2024 की राजपत्र अधिसूचना (असाधारण)** के नियम 18 (1) के फॉर्म V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूप के लिए **अनुलग्नक V(A), अनुलग्नक V(B) और अनुलग्नक V(C)** को देखें। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम 1995 (निरस्त होने के बाद से) के अंतर्गत जारी वर्तमान अक्षमता प्रमाणपत्र, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा।

11.4 बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी) ध्यान दें कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त पीडब्ल्यूबीडी उप-श्रेणी यानी एलडी/एचआई/VI/एमडी का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में पीडब्ल्यूबीडी उप-श्रेणी में बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवेदन पत्र में घोषित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र, अपनी विशिष्ट विकलांगता पहचान (यूडीआईडी) के साथ प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि विकलांगता/विकलांगताओं के प्रकार (जैसे ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी, एसआई आदि), जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी।।। दिनांक 04.01.2021 में दर्शाया गया है, प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

11.5 चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों को डीवी के समय रेलवे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा जांच से गुजरना होगा और केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल और अन्य मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप होंगे।

11.6 जब रिक्तियां दिव्यांगों के लिए आरक्षित होती हैं और दिव्यांगों के लिए पूर्ण पैनल प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम योग्यता प्रतिशत अंकों के साथ नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात्, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल, समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों में 2% अंकों तक की छूट दी जाएगी।

11.7 लेखक की सहायता और प्रतिपूरक समय के लिए दिशानिर्देश:

11.7.1 दृष्टिहीनता, गति-संचालन विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित) और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, वे स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

11.7.2 बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों अर्थात् दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार/ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति मांसपेशीय दुर्विकास से प्रभावित है/लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार जिनमें विकलांगता 40% से कम नहीं है, में उनके द्वारा किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है को प्रस्तुत करने पर स्क्राइब की नियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है। उनके द्वारा अनुलग्नक-V(G) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद और अनुलग्नक-V(D) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद वे परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

11.7.3 40% से कम विकलांगता वाले दिव्यांगजन (जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(E) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद और अनुलग्नक-V(F) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

11.7.4 एक आँख वाले सभी उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृष्टि की अक्षमता 40% से कम है, उन्हें दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा और उनके लिए स्क्राइब की सेवाएँ प्राप्त करने के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

11.7.5 जो अभ्यर्थी उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में वर्णित अनुसार लेखक के लिए पात्र हैं और लेखक की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में लेखक का विकल्प चुनना होगा।

11.7.6 लेखक के पात्र अभ्यर्थियों को अपने खर्च पर स्वयं लेखक की व्यवस्था करनी होगी।

11.7.7 जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है,

- उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in पर आरआरबी के साथ पंजीकृत है (कृपया स्क्राइब के पंजीकरण के संबंध में पैरा 11.7.8 देखें)
- संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की गई 5-दिवसीय विंडो के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग ऑन करना चाहिए, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके।
- अपने स्क्राइब का वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) नंबर दर्ज करें। आपके स्क्राइब के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- स्क्राइब की पुष्टि करने के लिए स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करना होगा।

11.7.8 स्क्राइब के लिए पंजीकरण:

- कोई भी व्यक्ति जो स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएँ देना चाहता है, उसे rrbapply.gov.in पर RRB के साथ एक खाता बनाना होगा और अपने खाते के क्रेडेंशियल का उपयोग करके खुद को स्क्राइब के रूप में पंजीकृत करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, एक पंजीकरण संख्या (OTR नंबर) तैयार की जाएगी और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।
- जो उम्मीदवार पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में वर्णित अनुसार स्क्राइब के लिए पात्र हैं और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा। जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है, उन्हें संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की जाने वाली पाँच दिवसीय अवधि के दौरान अपने स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और स्क्राइब का ओटीआर नंबर दर्ज करना होगा। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवार को स्क्राइब से यह ओटीपी प्राप्त करना होगा और स्क्राइब की पुष्टि करने के लिए इसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
- उम्मीदवारों के साथ आने वाले लेखकों को अलग से ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। लेखक को परीक्षा के दिन पंजीकरण के दौरान इस्तेमाल किया गया मूल और वैध पहचान प्रमाण साथ लाना होगा।

11.7.9 किसी भी व्यक्ति को लेखक के रूप में नियुक्त करने से पहले लेखक के लिए पात्र उम्मीदवारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए:

- कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र है। कोई भी उम्मीदवार जो ऊपर बताए गए दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का उपयोग करता है, उसे भर्ती की प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके स्क्राइब का उपयोग करने वाले किसी भी उम्मीदवार को बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है, यदि वह पहले से ही रेलवे सेवा में शामिल हो चुका है।
- किसी व्यक्ति को rrbapply.gov.in पर RRB के साथ अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
- एक स्क्राइब एक ही परीक्षा में एक से अधिक उम्मीदवारों की सहायता नहीं करेगा।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार उसी परीक्षा में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता। स्क्राइब और उम्मीदवार को इस आशय का एक घोषणापत्र देना होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने उसी परीक्षा के लिए स्क्राइब के रूप में किसी अन्य उम्मीदवार की सहायता की है, तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- अभ्यर्थी के स्वयं के लेखक की शैक्षिक योग्यता परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंड से एक स्तर कम होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्राइब के संबंध में दी गई जानकारी सही है। यदि परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने लेखक की सुविधा का लाभ उठाया है और लेखक किसी दूसरे व्यक्ति की

नकल करता हुआ पाया जाता है और/या लेखक या अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा और उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

g) अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने साथ लाए गए लेखक द्वारा किए गए किसी भी कदाचार के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

h) परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि लेखक स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है / हल कर रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा, और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। लेखक की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा यह रिपोर्ट की जाती है कि लेखक ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है।

i) परीक्षा केंद्र पर लेखक का परिवर्तन:

- परीक्षा स्थल पर स्क्राइब को बदलने की आम तौर पर अनुमति नहीं है। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में कारणों को दर्ज करके बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। नए स्क्राइब को आरआरबी के साथ स्क्राइब के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) प्रिंटआउट की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, नए स्क्राइब को पैरा 11.7.9 के तहत स्क्राइब के लिए लागू सभी अन्य मानदंडों को पूरा करना चाहिए। उम्मीदवारों को "स्क्राइब बदलने" के फॉर्म और 'स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र' फॉर्म में विवरण भरना होगा।

- यदि ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो आरआरबी अपने विवेक से एक लेखक नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि उम्मीदवार अभी भी लेखक की सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो। आरआरबी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले लेखक की योग्यता सीईएन की न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, लेखक की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे अधिक होगी।

11.7.10 पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अनुसार, लेखक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पात्र उम्मीदवार, यदि वे चाहें तो लेखक की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय का लाभ उठा सकते हैं।

a) उपर्युक्त पैराग्राफ में निर्दिष्ट अनुसार, लेखक का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

b) पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में संदर्भित उम्मीदवार, जो लेखक के उपयोग के लिए पात्र हैं, लेकिन सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जा सकता है, यदि वे ऐसा चाहें।

11.7.11 लेखक की नियुक्ति के संबंध में शर्तें समय-समय पर संशोधित सक्षम प्राधिकारी के विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी।

12.0 वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC):

रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रारंभिक प्रशिक्षण/परिवीक्षा से गुजर रहे लोगों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को सूचित करते हुए सीधे RRB को ONLINE आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी की तारीख पर नियोक्ता से NOC प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/पैनलमेंट/नियुक्ति के दौरान/उसके समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से एनओसी जमा करना उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी है, ऐसा न करने पर उसकी उम्मीदवारी/पैनलमेंट/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी।

नोट: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि संबंधित आरआरबी द्वारा उनके नियोक्ता से परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने का संचार प्राप्त होता है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकार/रद्द कर दी जाएगी।

13.0 भर्ती प्रक्रिया:

(ए) उम्मीदवारों को आरआरबी की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार एक वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी पर आवेदन कर सकते हैं और एक वेतन स्तर में केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन (किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए वरीयता के क्रम में जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र और इच्छुक है।) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा वेतन स्तर में एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर, उस वेतन स्तर के लिए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और डिबार कर दिया जाएगा।

(बी) भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

(i) कंप्यूटर आधारित परीक्षण (CBT)

(ii) दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी-DV) और

(iii) मेडिकल परीक्षा (एमई-ME)

(सी) परीक्षा अनुसूची और स्थानों की जानकारी आरआरबी वेबसाइटों, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से नियत समय में पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी।

(डी) किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

13.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षण (CBT):

प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग सीबीटी होगा।

(A) वेतन स्तर-5 पोस्ट यानी तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल के लिए सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम,

(i) कुल अवधि: 90 मिनट और कुल प्रश्न: 100

(ii) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

(iii) कई पारियों में आयोजित सीबीटी के लिए मार्क्स का सामान्यीकरण किया जाएगा।

(iv) विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत: यूआर - 40%, ईडब्ल्यूएस - 40%, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) - 30%, एससी-30% और एसटी-25%। यह उनके समुदाय के अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों पर भी लागू है। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध दिव्यांगजनों की कमी होने की स्थिति में पात्रता के लिए अंकों के इन प्रतिशत में 2% अंकों की छूट दी जा सकती है।

(v) सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए गिना जाएगा।

(vi) तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल के सीबीटी के लिए सिलेबस: प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है:

सामान्य जागरूकता: वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल हैं।

सामान्य बुद्धि और तर्क: उपमाएँ, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, सिलेगिज्म, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेने, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, विवरण, विवरण - तर्क और धारणा आदि।

कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें: कंप्यूटर की वास्तुकला; इनपुट और आउटपुट डिवाइस; स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स; एमएस ऑफिस; विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व; इंटरनेट और ईमेल; वेबसाइट और वेब ब्राउज़र; कंप्यूटर वायरस।

गणित: संख्या प्रणाली, तर्कसंगत और तर्कहीन संख्या, बोडमास नियम, द्विघात समीकरण, अंकगणितीय प्रगति, समान त्रिकोण, पाइथागोरस प्रमेय, समन्वय ज्यामिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाइयों और दूरी, सतह क्षेत्र और मात्रा; सेट: सेट और उनके अभ्यावेदन, खाली सेट, परिमित और अनंत सेट, समान सेट, सबसेट, वास्तविक संख्याओं के एक सेट के सबसेट, यूनिवर्सल सेट, वेन आरेख, संघ और सेट के चौराहे, सेट का अंतर, एक सेट का पूरक, गुण पूरक की; सांख्यिकी: फैलाव के उपाय: सीमा, माध्य विचलन, विचरण और अनग्रुप/समूहीकृत डेटा का मानक विचलन; घटनाओं की संभावना घटना, संपूर्ण घटनाओं, पारस्परिक रूप से अनन्य घटनाओं।

बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग: भौतिकी बुनियादी बातों- इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान; बिजली और चुंबकत्व- इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, और तीव्रता, विद्युत क्षमता और संभावित अंतर, सरल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, गैर-कंडक्टर/इंसुलेटर, ओम के कानून और इसकी सीमाएं, श्रृंखला में प्रतिरोध और एक सर्किट और विशिष्ट प्रतिरोध के समानांतर, संबंध, संबंध, संबंध विद्युत क्षमता, ऊर्जा, और शक्ति (वाटेज), एम्पीयर का नियम, चलती चार्ज कण पर चुंबकीय बल और लंबे सीधे कंडक्टर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, और विद्युत चुम्बकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय

प्रेरण; इलेक्ट्रॉनिक्स और माप- बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट, माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप, माप प्रणाली और सिद्धांत, रेंज एक्सटेंशन विधियाँ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऊपर सूचीबद्ध विषय उदाहरणात्मक हैं तथा आवश्यक रूप से सम्पूर्ण नहीं हैं।

| तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल के सीबीटी के लिए प्रश्नों और अंकों के संभावित विषय-वार ब्रेक-अप | | |
|--|--------------------|----------------------------|
| विषयों | प्रश्नों की संख्या | प्रत्येक अनुभाग के लिए अंक |
| सामान्य जागरूकता | 10 | 10 |
| सामान्य बुद्धि और तर्क | 15 | 15 |
| कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें | 20 | 20 |
| गणित | 20 | 20 |
| बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरी | 35 | 35 |
| कुल | 100 | 100 |
| ऊपर दिया गया विषय-वार वितरण केवल सांकेतिक है। प्रश्न पत्र अलग-अलग हो सकते हैं। | | |

(B) वेतन स्तर -2 यानी तकनीशियनों-III के पदों के लिए सीबीटी का पैटर्न और सिलेबस:

- कुल अवधि: 90 मिनट और कुल प्रश्न: 100
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
- कई पारियों में आयोजित सीबीटी के अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।
- विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत: यूआर – 40%, ईडब्ल्यूएस – 40%, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) – 30%, एससी-30% और एसटी-25%। यह उनके समुदाय के अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों पर भी लागू है। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध दिव्यांगजनों की कमी होने की स्थिति में पात्रता के लिए अंकों के इन प्रतिशत में 2% अंकों की छूट दी जा सकती है।
- सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए गिना जाएगा।
- वेतन स्तर-2 यानी तकनीशियन ग्रेड III की विभिन्न श्रेणियां पदों के लिए सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम: प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है:

गणित: : संख्या प्रणाली, बोजमास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य; समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि।

सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क: मानसिक क्षमता: सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, सिलोगिज़्म, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन - तर्क और धारणाएं आदि।

सामान्य विज्ञान: इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान शामिल होंगे।

सामान्य जागरूकता: सामान्य जागरूकता: समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्व के विषय।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऊपर सूचीबद्ध विषय उदाहरणात्मक हैं तथा आवश्यक रूप से सम्पूर्ण नहीं हैं।

| तकनीशियनों-III के पदों के सीबीटी के लिए प्रश्नों और अंकों का संभावित विषय-वार विवरण | | |
|---|--------------------|------------|
| विषय | प्रश्नों की संख्या | अंक |
| गणित | 25 | 25 |
| सामान्य बुद्धि एवं तर्क | 25 | 25 |
| सामान्य विज्ञान | 40 | 40 |
| सामान्य जागरूकता | 10 | 10 |
| कुल | 100 | 100 |

ऊपर दिया गया विषयवार वितरण केवल सांकेतिक है। प्रश्नपत्र अलग-अलग हो सकते हैं।

13.2 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):

- (ए) उम्मीदवारों को संबंधित वेतन स्तरों के लिए सीबीटी में उनके अंकों और योग्यता के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी।
- (बी) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी, यानी, बड़े उम्मीदवार को युवा उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्यता दी जाएगी।
- (सी) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने और सभी आवश्यक दस्तावेजों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- (डी) पैनल में किसी कमी या अन्य अनिवार्यताओं के मामले में, आरआरबी ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्पों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो मेरिट सूची में नीचे के उम्मीदवारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, इससे ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलेगा।
- (इ) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि आरआरबी केवल संबंधित रेलवे प्रशासन को पैनल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करते हैं। नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है।

14.0 आवेदन कैसे करें:

| | |
|--------|---|
| 14.1.0 | गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। |
| 14.2.0 | खाता बनाएं |
| 14.2.1 | <p>आरआरबी के साथ खाता बनाएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> उम्मीदवार को पहले नीचे पैरा 16.0 में सूचीबद्ध आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करके इस सीईएन के लिए एक खाता बनाना होगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले से ही पिछले आरआरबी सीईएन के लिए एक खाता बनाया है, उन्हें आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करके इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। खाता निर्माण के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उनके पास एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी (ID) होना चाहिए। 'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में बाद में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अकाउंट बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि अकाउंट बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
| 14.2.2 | <p>पहचान प्रमाणीकरण सलाह</p> <ul style="list-style-type: none"> उम्मीदवारों को अपने हित में दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे "खाता बनाएँ" प्रक्रिया के दौरान डिजिलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। ऐसा करने से भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक सहज और तेज़ सत्यापन की सुविधा होगी। |

| | |
|---------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • कृपया ध्यान दें कि जो आवेदक इन तरीकों से अपनी पहचान सत्यापित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें भर्ती के हर चरण में काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच के अधीन होना पड़ेगा। |
| 14.3 | <p>ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश</p> <p>(a) उम्मीदवारों को इस CEN के लिए आवेदन करने के लिए केवल आधिकारिक RRB वेबसाइट पर दिए गए लिंक का उपयोग करना चाहिए। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत CEN में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। (b) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरनी होगी तथा जमा करने से पहले उसे दोबारा जांचना होगा। (c) आवेदन जमा करने के पश्चात आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर सकेगा। (d) परीक्षा का माध्यम: सीबीटी के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी तथा 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (अर्थात असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक माध्यम से परीक्षा का चयन करना होगा। सीबीटी प्रश्न चुनी गई भाषा तथा अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे। (e) प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग आवेदन</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग आवेदन की आवश्यकता है, क्योंकि इस सीईएन के तहत अधिसूचित प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग-अलग सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) आयोजित किए जाएंगे। • प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान अलग से किया जाना चाहिए। (f) प्रति वेतन स्तर केवल एक आरआरबी चुनें • प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक विशिष्ट वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी चुनना होगा। • उस वेतन स्तर के लिए केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करके (नीचे पैरा 16.0 देखें)। • एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, चुने गए आरआरबी को उस वेतन स्तर के लिए अंतिम माना जाएगा। • एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर उस वेतन स्तर के लिए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। <p>(g) चयनित आरआरबी के अंतर्गत पद वरीयता क्रम</p> <ul style="list-style-type: none"> • अभ्यर्थी को चयनित वेतन स्तर के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी या सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना होगा, जो उन पदों पर आधारित होगा जिनके लिए अभ्यर्थी पात्र और इच्छुक है। <p>(h) आवेदन जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को पैरा 7.1 में बताए अनुसार परीक्षा शुल्क के भुगतान का तरीका चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। महत्वपूर्ण: कृपया भुगतान के तरीके की वास्तविकता तथा इस सीईएन के अंतर्गत जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि के बारे में सावधान रहें। भुगतान करते समय अनधिकृत वेबसाइटों से बचें। (i) अंततः, ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।</p> |
| 14.4.0 | <p>आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो कैप्चरिंग</p> <p>आवेदन के दौरान अभ्यर्थी का लाइव फोटोग्राफ लेने के निर्देश: क) उम्मीदवारों को आवेदन करते समय पहले से मौजूद फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>ख) आवेदन मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव फोटो खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।</p> <p>ग) लाइव फोटो वेब कैम या मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे (स्क्रीन साइड कैमरा) द्वारा खींची जा सकती है।</p> <p>घ) सुनिश्चित करें कि पृष्ठभूमि के साथ कंट्रास्ट बनाए रखने के लिए आप गैर-सफेद कपड़े पहनें, अधिमानतः गहरे रंग के कपड़े।</p> <p>ई) इस उद्देश्य के लिए, उम्मीदवार को आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए और नीचे दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए:</p> |

| | |
|--------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • फोटो खींचने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर हो। • कैमरे के ठीक सामने खड़े हो जाएं और तटस्थ भाव से सीधे आगे देखें। • सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो और आवेदन मॉड्यूल द्वारा दिखाए गए फ्रेम के भीतर केंद्रित हो। • सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे से न तो बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो, और सिर या चेहरे का कोई भी हिस्सा चित्रित फ्रेम से बाहर न हो। • फोटो खींचते समय टोपी, मास्क या चश्मा न पहनें। • उम्मीदवार अपने द्वारा खींची गई तस्वीर का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और यदि वे छवि से संतुष्ट नहीं हैं, तो आवेदन जमा होने तक इसे फिर से ले सकते हैं। • इन दिशानिर्देशों का पालन न करने वाली तस्वीरों वाले आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। • भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की उपस्थिति आवेदन के साथ जमा की गई तस्वीर से मेल खानी चाहिए। <p>महत्वपूर्ण नोट: उम्मीदवारों को पहले से मौजूद किसी मुद्रित या डिजिटल फोटोग्राफ की तस्वीर लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई भी आवेदन जिसमें ऐसी छवि प्रस्तुत की गई हो, उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p> |
| 14.5.0 | <p>अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करने के लिए अनिवार्य रूप से स्कैन किए गए दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे।</p> |
| | <p>निम्नलिखित को अपलोड किया जाना चाहिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) सीईएन में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में उम्मीदवार का हस्ताक्षर 2) सीईएन में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पीडीएफ प्रारूप में एससी/एसटी प्रमाण पत्र (मुफ्त ट्रेन यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) |
| 14.5.1 | <p>अभ्यर्थी के हस्ताक्षर: अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> • हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार द्वारा ही लिखे जाने चाहिए। • सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही वाली कलम का उपयोग करें। • हस्ताक्षर, रनिंग हैंडराइटिंग (यानी, कर्सिव/जुड़े हुए अक्षर) में होने चाहिए, ब्लॉक, कैपिटल या अलग-अलग अक्षरों में नहीं। <p>हस्ताक्षर स्पष्ट, सुपाठ्य और स्कैन किए गए क्षेत्र में पूरी तरह से दिखाई देने वाले होने चाहिए।</p> <p>हस्ताक्षर के लिए विनिर्देश:</p> <ul style="list-style-type: none"> • हस्ताक्षरित कागज़ को न्यूनतम 100 DPI रिज़ॉल्यूशन का उपयोग करके स्कैन करें। • छवि फ़ाइल प्रारूप: केवल JPG/JPEG • फ़ाइल आकार: 30 KB और 49 KB के बीच • छवि आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊँचाई) • स्कैन किए गए हस्ताक्षर को आवेदन फ़ॉर्म पर निर्दिष्ट स्कैन बॉक्स के भीतर रखा जाना चाहिए: बॉक्स का आकार: 35 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊँचाई)। हस्ताक्षर की छवि इस बॉक्स के बीच में होनी चाहिए <p>हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन आवेदनों की अस्वीकृति के आधार:</p> <p>ऑनलाइन आवेदन और CEN के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी निम्नलिखित हस्ताक्षर-संबंधी आधारों पर भर्ती प्रक्रिया के किसी</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>भी चरण में अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> • गैर-सफेद पृष्ठभूमि का उपयोग • हस्ताक्षर के लिए गैर-काली स्याही का उपयोग • रनिंग हैंडराइटिंग के बजाय ब्लॉक या कैपिटल अक्षरों में लिखा गया हस्ताक्षर • खराब रिज़ॉल्यूशन या अस्पष्ट हस्ताक्षर छवि • अधूरा या आंशिक रूप से दिखाई देने वाला हस्ताक्षर • हस्ताक्षर के अलावा कोई अन्य छवि अपलोड करना • कोई हस्ताक्षर नहीं (रिक्त) • हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान <p>उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी हस्ताक्षर छवि भर्ती के किसी भी चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है।</p> <p>महत्वपूर्ण: आवेदन पर हस्ताक्षर निम्नलिखित के दौरान लिए गए हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> • परीक्षा • दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) • चिकित्सा परीक्षा (एमई) • नियुक्ति |
| <p>14.5.2</p> | <p>एससी/एसटी प्रमाण पत्र (निःशुल्क रेल यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए)</p> <p>एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवार जो निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित विनिर्देशों के साथ अपने एससी/एसटी प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> • दस्तावेज़ केवल पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए। • फ़ाइल का आकार 400 केबी से कम होना चाहिए। • प्रमाण पत्र सुपाठ्य, स्पष्ट और आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए। • यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नवीनतम और वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। |
| <p>14.6.0</p> | <p>स्क्राइब की सहायता</p> |
| | <p>i. स्क्राइब सहायता के लिए पात्रता</p> <ul style="list-style-type: none"> • दृष्टिहीनता, गति-संचालन विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित - बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणियों में बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार, यदि उम्मीदवार चाहें तो, स्क्राइब की सहायता के लिए पात्र हैं। • बेंचमार्क विकलांगता की अन्य श्रेणियों के लिए, स्क्राइब की सुविधा केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसमें पुष्टि की गई हो कि उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है और उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। a) प्रमाण पत्र अनुलग्नक-V(G) में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए। b) अनुलग्नक-V(D) के अनुसार एक वचन पत्र भी परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। • 40% से कम विकलांगता वाले उम्मीदवार (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धारा 2(आर) के अंतर्गत नहीं) और लिखने में कठिनाई होने पर भी स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं: क) अनुलग्नक-वी(ई) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, और ख) परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-वी(एफ) के अनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करना। • एक आँख वाले उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृश्य विकलांगता 40% से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित नहीं माना जाता है और वे स्क्राइब सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं। • उपरोक्त शर्तों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा। • स्क्राइब की पात्र अभ्यर्थी को अपने खर्च पर स्वयं स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी। |

ii. स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश:

- स्क्राइब के पात्र उम्मीदवार जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है।
- अपने खर्च पर स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करें।
- यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in पर पंजीकृत है (पैरा 11.7.8 देखें)।

• संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की गई पांच दिवसीय अवधि के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके और अपने स्क्राइब का वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर दर्ज किया जा सके। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को स्क्राइब की पुष्टि करने के लिए यह OTP दर्ज करना होगा।

नोट: किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले कृपया सीईएन के पैरा 11.7.9 को पढ़ें ताकि स्क्राइब के लिए लागू शर्तों/योग्यताओं को समझा जा सके।

iii. स्क्राइब के लिए पंजीकरण

- स्क्राइब के रूप में कार्य करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को आरआरबी पोर्टल rrbapply.gov.in पर पंजीकरण करना होगा।
- सफल पंजीकरण के बाद, एक ओटीआर नंबर जनरेट किया जाएगा और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
- केवल वैध ओटीआर नंबर वाले पंजीकृत स्क्राइब को ही अनुमति दी जाएगी।

नोट: स्क्राइब को अलग से ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के समय इस्तेमाल किया गया मूल और वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा।

iv. स्क्राइब की पात्रता की शर्तें

स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों को इन शर्तों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए:

- a) केवल वे ही स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं जो दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं। स्क्राइब या प्रतिपूरक समय का अनधिकृत उपयोग अयोग्यता की ओर ले जाएगा, और यदि पहले से ही नियुक्त है, तो बिना किसी सूचना के सेवा से हटा दिया जाएगा।
- b) कोई व्यक्ति rrbapply.gov.in पर OTR पंजीकरण पूरा करने के बाद ही स्वयं स्क्राइब के रूप में कार्य कर सकता है।
- c) एक स्क्राइब एक ही परीक्षा में केवल एक उम्मीदवार की सहायता कर सकता है।
- d) एक उम्मीदवार एक ही परीक्षा में दूसरे उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उल्लंघन करने पर दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- e) स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।
- f) स्क्राइब के बारे में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार है। किसी भी प्रतिरूपण या गलत जानकारी के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
- g) स्क्राइब द्वारा किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार है।
- h) यदि किसी भी समय लेखक को स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर देते या हल करते पाया गया तो अभ्यर्थी का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

14.7.0 प्रस्तुत आवेदन विवरण में संशोधन

पूर्ण ऑनलाइन आवेदन जमा करने और अपेक्षित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, जो उम्मीदवार किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहते हैं ('खाता बनाएँ' फ़ॉर्म और चुने गए आरआरबी में भरे गए विवरणों को छोड़कर) वे ₹250 प्रति संशोधन का गैर-वापसी योग्य संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।

- 'खाता बनाएँ' फ़ॉर्म और 'चुने गए आरआरबी' में दर्ज विवरण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले जा सकते।
- संशोधन विंडो 01-08-2025 से 10-08-2025 तक खुलेगी
- 10-08-2025 के बाद संशोधन के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक सत्यापित करें।

15.0 उम्मीदवार ONLINE आवेदन जमा करने के लिए Digital India पहल के तहत Common Services Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। Common Services Centre (CSC) योजना भारत सरकार की National eGovernance Plan (NeGP) का एक हिस्सा है और इसका प्रबंधन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक Village Level Entrepreneur (VLE) द्वारा किया जाता है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक Common Services Centres (CSC) हैं जो शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने और e-wallet के माध्यम से शुल्क के भुगतान में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। सामान्य सेवा केंद्र की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम Common Services Centre जानने के लिए, कृपया लिंक खोलें - Find My Csc (<https://findmycsc.nic.in/csc/>)।

16.0 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव पर प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर अक्सर जाने की सलाह दी जाती है।

| CEN 02/2025में भाग लेने वाले RRBs की वेबसाइटें | | | |
|--|--|---|--|
| अहमदाबाद www.rrbahmedabad.gov.in | अजमेर www.rrbajmer.gov.in | बेंगलुरु www.rrbnc.gov.in | भोपाल www.rrbhopal.gov.in |
| भुवनेश्वर www.rrbbs.gov.in | बिलासपुर www.rrbilaspur.gov.in | चंडीगढ़ www.rrbcdg.gov.in | चेन्नई www.rrbchennai.gov.in |
| गुवाहाटी www.rrbguwahati.gov.in | जम्मू-श्रीनगर www.rrbjammu.nic.in | कोलकाता www.rrbkolkata.gov.in | मालदा www.rrbmalda.gov.in |
| मुंबई www.rrbmumbai.gov.in | मुजफ्फरपुर www.rrbmuzaffarpur.gov.in | पटना www.rrbpatna.gov.in | प्रयागराज www.rrbald.gov.in |
| रांची www.rbranchi.gov.in | सिकंदराबाद www.rrbsecunderabad.gov.in | सिलीगुड़ी www.rrbiliguri.gov.in | तिरुवनंतपुरम www.rrbthiruvananthapuram.gov.in |
| गोरखपुर www.rrbgkp.gov.in | | | |

(अ) मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में जमा की गई जानकारी की वैधता साबित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर होगी।

(ब) महत्वपूर्ण:

- (i) महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध में सभी संचार संबंधित आरआरबी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किए जाएंगे।
- (ii) हालाँकि, उपरोक्त के अलावा, उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ई-मेल आईडी सक्रिय रखना होगा, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे।
- (iii) आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।
- (iv) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपना **पंजीकरण नंबर** ध्यान से नोट करें और याद रखें।

17.0 आवेदन में संशोधन:

(ए) ऑनलाइन आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित), में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है वह प्रत्येक अवसर के लिए रुपये 250/- (गैर-वापसी योग्य) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए आरआरबी को नहीं बदला जा सकता है।

(बी) संशोधन शुल्क का भुगतान समुदाय और श्रेणी की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को करना होगा।

(सी) यदि कोई उम्मीदवार अपने समुदाय को एससी/एसटी से यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस (EWS) में संशोधित करता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अलावा परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250/- रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(डी) इसी तरह, यदि कोई उम्मीदवार Ex.SM/PwBD/ महिला/ ट्रांसजेंडर से UR/OBC (NCL)/EWS/Non Ex.SM/Non PwBD/ पुरुष/ पुरुष या महिला आदि में स्विच कर रहा है, तो उसे परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250/- रुपये (संशोधन शुल्क के अतिरिक्त) का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ई) प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क के भुगतान करने पर ऑनलाइन आवेदन में कितनी भी बार संशोधन की अनुमति दी जाएगी।

(एफ) संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिये, प्रस्तुत आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि के 10 (दस) दिन बाद तक अनुमत होंगे, अर्थात्, इस सीईएन के लिए 30.07.2025 (23:59 बजे)। संशोधन विंडो (Modification window) 01.08.2025 से 10.08.2025 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, RRB आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

18.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृति:

(ए) ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगे:

- एक ही वेतन स्तर के पद के लिए विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी के लिए एकाधिक आवेदन। ऐसे मामले में, सभी आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- उम्मीदवार की लाइव फोटो इमेज कैप्चर करने के लिए पैरा 14.4 में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 14.5 के तहत हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षा के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- किसी भी आरआरबी/आरआरसी की डिबार सूची में उम्मीदवार का नाम होना।
- 18.0(ए) के तहत उपरोक्त पैरा में सूचीबद्ध विचलन सहित कोई अन्य अनियमितता जो आवेदन जांच चरण के दौरान, सीबीटी के लिए ई-कॉल लेटर जारी करने से पहले/बाद में या दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पाई जाती है।

(बी) **अस्वीकृत आवेदन:** अस्वीकृत आवेदनों का विवरण (अस्वीकृति के कारण सहित) संबंधित RRB की वेबसाइट पर लॉग इन करके देखा जा सकता है, जो अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क (examination fee) वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और email ID पर SMS और email अलर्ट भी भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

19.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश:

(ए) सीबीटी शेड्यूल और ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिंक के बारे में जानकारी और विवरण आरआरबी की वेबसाइटों पर दिए जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के जरिए भी सूचित किया जाएगा।

(बी) योग्य उम्मीदवार सीबीटी के लिए अपना ई-कॉल लेटर (और जहां लागू हो, वहां स्क्राइब के लिए) आरआरबी की वेबसाइट से सीबीटी की तारीख से लगभग 4 (चार) दिन पहले पैरा 16 में दिए गए अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।

(सी) उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।

(डी) सीबीटी के संबंध में विस्तृत जानकारी और निर्देश ई-कॉल लेटर के साथ दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना और पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।

(ई) **मुफ्त यात्रा सुविधा:** एससी और एसटी उम्मीदवारों के मामले में जो मुफ्त ट्रेन यात्रा के पात्र हैं, उनके ई-कॉल लेटर में ही मुफ्त यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेलवे पास) शामिल होगा। ऐसे एससी और एसटी उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-कॉल लेटर और एससी/एसटी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना मूल समुदाय प्रमाण पत्र और पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण साथ रखना चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

(एफ) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपने E-call लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार सरकारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र। कर्मचारी, यदि अभी भी पढ़ रहे हैं तो स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय फोटो पहचान पत्र, इत्यादि) (Voter ID-Card, Aadhaar card, printout of e- Aadhaar, driving license, PAN card, passport, valid identity card issued by the employer in case the candidate is a govt. employee, school / college / university photo ID card if still studying, etc) ले जाना होगा। ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(जी) सीबीटी/डीवी/एमई के दौरान, उम्मीदवारों को एक रंगीन पासपोर्ट फोटो लाना होगा जो सीबीटी/डीवी/एमई की तारीख से दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जैसा भी लागू हो।

20.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

- (ए) डीवी के लिए चुने गए उम्मीदवारों को डीवी के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट जमा करने होंगे।
- (बी) इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को अपनी डीवी तिथि से पहले फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) पोर्टल - <https://oirms-ir.gov.in/rrbdv> के माध्यम से अपलोड करनी चाहिए।
- (सी) सभी प्रमाणपत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। जहां प्रमाणपत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, वहां स्वप्रमाणित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) जहां भी/जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीवी के दौरान उत्पादित प्रमाणपत्र पूर्णतया निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए।
- (डी) डीवी की तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जब्त कर ली जाएगी।
- (ई) जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहे, उनकी उम्मीदवारी जब्त कर ली जाएगी।

21.0 अनुचित प्रथाओं का उपयोग:

- (ए) यदि कोई उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, जैसे जालसाजी, छद्मवेश धारण करना, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग या प्रयोग करने का प्रयास, गलत बयानी या तथ्यों को दबाना, गलत सूचना देना या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना आदि, तो उसे रेलवे में नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले से ही नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को उचित समझे जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। (ध्यान दें कि दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024" अधिनियम की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है)।
- (बी) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए अनुचित और अनुचित प्रभाव के किसी भी उपयोग से संबंधित उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा और प्रतिबंधित किया जाएगा।
- (सी) **चेतावनी:** रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने वाले बेईमान तत्वों और नौकरी रैकेटर्स से सावधान रहें - या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक तरीकों का उपयोग करके। आरआरबी भर्ती के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के प्रति आगाह किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है।

22.0 विविध:

- (ए) भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी बेमेल के मामले में, संबंधित आरआरबी किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
- (बी) आरआरबी किसी भी उम्मीदवार की पहचान को सत्यापित करने और पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं आयोजित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- (सी) आरआरबी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त सीबीटी/डीवी (आवश्यकतानुसार) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आरआरबी बिना कोई कारण बताए इस सीईएन (CEN) में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया के आंशिक या संपूर्ण भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, आरआरबी तकनीकी बाधाओं / अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी भी सीबीटी / सीबीएटी / डीवी को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (डी) पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करना, गलत जानकारी के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, सीबीटी का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, से संबंधित सभी मामलों में आरआरबी का निर्णय। चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में आरआरबी द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ई) आरआरबी किसी भी अनजाने/टाइपोग्राफिकल त्रुटियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ऐसी त्रुटियों को ठीक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अनजाने/टाइपोग्राफिकल त्रुटि(ओं) के कारण, यदि किसी उम्मीदवार को सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी/दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है या परिणाम घोषित किया जाता है या पैनल में शामिल किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, तो आरआरबी परिणामों को रद्द/संशोधित करने और ऐसे उम्मीदवारों के पैनल को रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि पहले से ही नियुक्त है, तो वह योग्यता और अवसर की समानता के सिद्धांत को मौलिक आधार के रूप में सुनिश्चित करते हुए सेवा से हटाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (एफ) उनके आवेदन के अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाने और सीबीटी को ई-कॉल लेटर प्राप्त होने के बाद इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे, संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी द्वारा चुना गया उम्मीदवार स्थित है। हालांकि, किसी भी कारण से आवेदन अस्वीकार होने के कारण उसकी उम्मीदवारी को खारिज किए जाने की स्थिति में, इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे, तेलंगाना राज्य के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद/उच्च न्यायालय के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएंगे।
- (जी) उम्मीदवारों को समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट अधिसूचना के खिलाफ जारी किए गए किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों की जांच करने की सलाह दी जाती है।
- (एच) व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण और बाद में संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों में प्रकाशित किया गया है, को अंतिम माना जाएगा।

23.0 इस सीईएन (CEN) में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

| | |
|--------------------------------|---|
| भर्ती प्रक्रिया के चरण | सीबीटी = कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीएटी = कंप्यूटर आधारित एप्लीक्यूड टेस्ट, डीवी = दस्तावेज़ सत्यापन, एमई = मेडिकल परीक्षा |
| आरक्षण/आयु में छूट श्रेणी | सीसीए = पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अपरेंटिस, ईबीसी (EBC) = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस (EWS) = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एक्सएसएम = भूतपूर्व सैनिक, ओबीसी-सीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर, ओबीसी-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर, एससी = अनुसूचित जाति, एसटी = अनुसूचित जनजाति, यूआर = अनारक्षित (सामान्य) |
| अक्षमताएँ | VI = दृष्टि बाधित (B=अंधा और LV=कम दृष्टि), HI = श्रवण बाधित (D=बहरा, HH=सुनने में कठिनाई), LD = चलने-फिरने में अक्षमता (OA=एक हाथ, OL=एक पैर, OAL=एक हाथ-पैर, BL=दोनों पैर, DW=बौनापन, CP=सेरेब्रल पाल्सी, AAV=एसिड अटैक पीड़ित, LC=कुष्ठ रोग ठीक हो गया, MDy=मांसपेशियों की दुर्बलता, SD (बिना N/L Df)=रीढ़ की हड्डी में विकृति (बिना न्यूरोलॉजिकल/अंग की शिथिलता), SI (बिना N/L Df)=रीढ़ की हड्डी में चोट (बिना न्यूरोलॉजिकल/अंग की शिथिलता), OD = अन्य अक्षमता, MD = एकाधिक अक्षमता |
| रेलवे जोन | सीआर = मध्य रेलवे, ईसीआर = पूर्व मध्य रेलवे, ईसीओआर = पूर्वी तट रेलवे, ईआर = पूर्वी रेलवे, एनआर = उत्तर रेलवे, एनसीआर = उत्तर मध्य रेलवे, एनईआर = उत्तर पूर्व रेलवे, एनएफआर = पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, एनडब्ल्यूआर = उत्तर पश्चिम रेलवे, एसआर = दक्षिणी रेलवे, एससीआर = दक्षिण मध्य रेलवे, एसईआर = दक्षिण पूर्व रेलवे, एसईसीआर = दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एसडब्ल्यूआर = दक्षिण पश्चिम रेलवे, डब्ल्यूआर = पश्चिमी रेलवे, डब्ल्यूसीआर = पश्चिम मध्य रेलवे आरआरबी = रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी = रेलवे भर्ती कक्ष |
| रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs) | एडीआई = अहमदाबाद, एआईआई = अजमेर, बीबी = मुंबई, बीबीएस = भुवनेश्वर, बीपीएल = भोपाल, बीएसपी = बिलासपुर, सीडीजी = चंडीगढ़, जीकेपी = गोरखपुर, जीएचवाई = गुवाहाटी, जाट = जम्मू श्रीनगर, केओएल = कोलकाता, एमएस = चेन्नई, एमएलडी = मालदा, एमएफपी = मुजफ्फरपुर, पीआरवाईजे = प्रयागराज पीएनबीई = पटना, आरएनसी = रांची, एसबीसी = बेंगलुरु, एससी = सिकंदराबाद, एसजीयूजे = सिलीगुड़ी, टीवीसी = तिरुवनंतपुरम |
| सामान्य | एएलपी = सहायक लोको पायलट, सीईएन (CEN) = केंद्रीकृत रोजगार सूचना, आईडी = पहचान, एलटीआई = बाएं अंगूठे का निशान, ओटीपी = वन टाइम पासवर्ड, पीएसयू = सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीयू = उत्पादन इकाई, ईक्यू = शैक्षिक योग्यता |
| संस्थाएँ / परिषद / प्रमाण पत्र | डीजीटी = प्रशिक्षण महानिदेशालय, आईटीआई = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एनएसी = राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र, एनटीसी = राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र, एनओसी = अनापत्ति प्रमाणपत्र, एनसीवीटी = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, एससीवीटी = राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, |

पोस्ट पैरामीटर

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | विभाग | उप विभाग | मेड स्टैंडर्ड | छठी | नमस्ते | दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता | आयुध डिपो | एम डी | निर्धारित योग्यता |
|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------|------------|---------------|------|----------|--|-----------|-------|---|
| | | | | | | | | एलडी | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | 5 | एस और टी | सिग्नल | बी 1 | नहीं | नहीं | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | नहीं | "A) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/इंस्ट्रुमेंटेशन में बी.एससी या भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/ इंस्ट्रुमेंटेशन की बुनियादी धाराओं के किसी भी उप-धारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.एससी. / (या) B) उपरोक्त बुनियादी धाराओं में या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में तीन साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (या) उपरोक्त बुनियादी धाराओं में या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में इंजीनियरिंग में डिग्री" |
| 2 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन | 2 | इंजीनियरिंग | ट्रैक मशीन | ए3 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / इलेक्ट्रीशियन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक / मैकेनिक मैक्टोनिंस / मैकेनिक डीजल / मैकेनिक मोटर वाहन / वैल्डर / मशीनिस्ट ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशि। |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | विभाग | उप विभाग | मेड स्टैंडर्ड | दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता | | | | | निर्धारित योग्यता |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------|--|-----------|------|---|
| | | | | | | छठी | नमस्ते | एलडी | आयुध डिपो | एमडी | |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | इंजीनियरिंग | पी वे | बी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फोर्जर और हीट ट्रीटर /फाउंड्रीमैन/पैटर्न मेकर/मोल्डर (रिफ्रैक्टरी) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 4 | तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज | 2 | इंजीनियरिंग | पुल | बी 1 | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर/फिटर (स्ट्रक्चरल) /वेल्डर ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वैगन | 2 | यांत्रिक | गाड़ी और वैगन | बी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / कारपेंटर / वेल्डर / प्लम्बर / पाइप फिटर ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | यांत्रिक | डीजल शेड | बी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | विभाग | उप विभाग | मेड स्टैंडर्ड | दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता | | | | | श्रेणी संख्या |
|---------------|---|----------------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------------|----------|--|-----------|------|--|
| | | | | | | छठी | नमस्ते | एलडी | आयुध डिपो | एमडी | |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) | 2 | यांत्रिक | डीजल शेड | बी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / मैकेनिक डीजल / मैकेनिक (भारी वाहनों की मरम्मत और रखरखाव) / मैकेनिक ऑटोमोबाइल (उन्नत डीजल इंजन) / मैकेनिक मोटर वाहन / ट्रैक्टर मैकेनिक / वेल्डर / पेंटर (जनरल) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 8 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस | 2 | विद्युतीय | टीआरएस | बी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स / मैकेनिक (एचटी, एलटी उपकरण और केबल जॉइंटिंग) / फिटर / वेल्डर / पेंटर (जनरल) / मशीनिस्ट / कारपेंटर ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | विद्युतीय | सामान्य सेवाएं | बी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / मैकेनिक (एचटी, एलटी उपकरण और केबल ज्वाइंटिंग) / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | विभाग | उप विभाग | मेड स्टैंडर्ड | दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता | | | | | श्रेणी संख्या |
|---------------|---|----------------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------------|----------|--|-----------|------|---|
| | | | | | | छठी | नमस्ते | एलडी | आयुध डिपो | एमडी | |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | विद्युतीय | टीआरडी | बी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / मैकेनिक (एचटी, एलटी उपकरण और केबल ज्वाइंटिंग) / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 11 | तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू | 2 | विद्युतीय | एमु | बी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स / मैकेनिक (एचटी, एलटी उपकरण और केबल जॉइंटिंग) / फिटर / वेल्डर / पेंटर (जनरल) / मशीनिस्ट / कारपेंटर / ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | विद्युतीय | सामान्य सेवाएं | बी 1 | बी, एल. वी. | डी, एचएच | ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर ट्रेड में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपी सी में स्तर | विभाग | उप विभाग | मेड स्टैंडर्ड | दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता | | | | | श्रेणी संख्या |
|---------------|---|-----------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------|--|-----------|------|--|
| | | | | | | छठी | नमस्ते | एलडी | आयुध डिपो | एमडी | |
| 13 | तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग | 2 | विद्युतीय | सामान्य सेवाएं | बी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक / इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 14 | तकनीशियन ग्रेड III रिक्टर | 2 | इंजीनियरिंग | पुल | बी 1 | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से मशीनिस्ट/मशीनिस्ट (ग्राइंडर) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | एस और टी | सिग्नल | बी 1 | नहीं | नहीं | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | नहीं | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक/ इलेक्ट्रीशियन/ वायरमैन ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। (या) भौतिकी और गणित में 10+2 |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपी सी में स्तर | विभाग | उप विभाग | मेड स्टैंडर्ड | दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता | | | | | श्रेणी संख्या |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------|--|-----------|------|---|
| | | | | | | छूठी | नमस्ते | एलडी | आयुध डिपो | एमडी | |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | इंजीनियरिंग | पी वे | बी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से वेल्डर / वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) / वेल्डर (स्ट्रक्चरल) / वेल्डर (पाइप) / वेल्डर (टीआईजी/एमआईजी)/ वेल्डर (फैब्रिकेशन एंड फिटिंग) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 17 | तकनीशियन ग्रेड III क्रेन चालक | 2 | यांत्रिक | कार्यशाला | बी2 | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैकेनिक (मोटर वाहन) / सामग्री हैंडलिंग उपकरण सह ऑपरेटर / क्रेन ऑपरेटर / ऑपरेटर लोकोमोटिव और रेल क्रेन ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 18 | तकनीशियन ग्रेड III बढ़ई (कार्यशाला) | 2 | यांत्रिक | कार्यशाला | सी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से कारपेंटर /फर्नीचर & कैबिनेट मेकर ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | विभाग | उप विभाग | मेड स्टैंडर्ड | दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता | | | | | श्रेणी संख्या |
|---------------|--|----------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|----------|--|-----------|------|---|
| | | | | | | छठी | नमस्ते | एलडी | आयुध डिपो | एमडी | |
| 19 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) (कार्यशाला) | 2 | यांत्रिक | कार्यशाला | सी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 20 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल कार्यशाला (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | यांत्रिक | उत्पादन इकाई | सी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / मैकेनिक डीजल / मैकेनिक (भारी वाहनों की मरम्मत और रखरखाव) / मैकेनिक ऑटोमोबाइल (उन्नत डीजल इंजन) / मैकेनिक (मोटर वाहन) / टैक्टर मैकेनिक / वेल्डर / पेंटर (जनरल) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 21 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप (पावर और टीएल) | 2 | विद्युतीय | कार्यशाला | सी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / मैकेनिक (एचटी, एलटी उपकरण और केबल ज्वाइंटिंग) / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | विभाग | उप विभाग | मेड स्टैंडर्ड | दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता | | | | | श्रेणी संख्या |
|---------------|---|----------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|----------|--|-----------|------|--|
| | | | | | | छठी | नमस्ते | एलडी | आयुध डिपो | एमडी | |
| 22 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्टिकल (पीयू और कार्यशाला) | 2 | विद्युतीय | उत्पादन इकाई | सी 1 | नहीं | डी,एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स / मैकेनिक मेकट्रॉनिक्स ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | विद्युतीय | उत्पादन इकाई | सी 1 | बी, एल.वी. | डी, एचएच | ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर ट्रेड में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 24 | तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला) | 2 | यांत्रिक | कार्यशाला | सी 1 | नहीं | नहीं | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | नहीं | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से मशिनिस्ट/ टर्नर/ मशिनिस्ट (ग्राइंडर)/ ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 25 | तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | यांत्रिक | उत्पादन इकाई | सी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर/ वेल्डर / मशिनिस्ट/ मशिनिस्ट (ग्राइंडर)/ मैखानिक मखत्रानिक्स/ टर्नर/ ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल/ सि यन सि प्रोग्रामर कम ऑपरेटर ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | विभाग | उप विभाग | मेड स्टैंडर्ड | दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता | | | | | श्रेणी संख्या |
|---------------|--|----------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------|--|-----------|------|--|
| | | | | | | छठी | नमस्ते | एलडी | आयुध डिपो | एमडी | |
| 26 | तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | यांत्रिक | उत्पादन इकाइयाँ | सी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से मिलराइट मेन्टेनन्स मैखानिक/मैखानिक मशीन टूल मेन्टेनन्स/ मैखानिक अडवांस्ड मशीन टूल मेन्टेनन्स ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 27 | तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला) | 2 | यांत्रिक | कार्यशाला | सी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से पेंटर (जनरल)/डोमेस्टिक पेंटर /इंडस्ट्रियल पेंटर ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 28 | तकनीशियन ग्रेड III टिमर (कार्यशाला) | 2 | यांत्रिक | कार्यशाला | सी 1 | नहीं | डी, एचएच | ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से टेलर (जनरल)/उपहोल्सटर /कटिंग & सिविंग /सिविंग टेक्नोलॉजी / ड्रेस मेकिंग /डिजाइनर एंड मास्टर कटर ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | विभाग | उप विभाग | मेड स्टैंडर्ड | दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता | | | | | श्रेणी संख्या |
|---------------|---|----------------------|-------------|-----------|---------------|-------------------------------|-----------|--|-----------|-------|---|
| | | | | | | छठी | नमस्ते | एलडी | आयुध डिपो | एम डी | |
| 29 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | इंजीनियरिंग | कार्यशाला | सी 1 | नहीं | डी, एचए च | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से वेल्डर / वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) / वेल्डर (स्ट्रक्चरल) / वेल्डर (पाइप) / वेल्डर (टीआईजी/एमआईजी)/ वेल्डर (फैब्रिकेशन एंड फिटिंग) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) | 2 | यांत्रिक | कार्यशाला | सी 1 | नहीं | डी, एचए च | ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के) | नहीं | हाँ | मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से वेल्डर / वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) / वेल्डर (स्ट्रक्चरल) / वेल्डर (पाइप) / वेल्डर (टीआईजी/एमआईजी)/ वेल्डर (फैब्रिकेशन एंड फिटिंग) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। |

आरआरबी और जोन वार रिक्ति तालिका

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | रेलवे | यू आर | एस सी | एस टी | ओ बी सी | ई डब्ल्यू एस | कुल | एक्स एस एम | पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| | | | | | | | | | | | वी आय | नमस्ते | एलडी | एमडी | पीछे -VI | पीछे -HI | पीछे -एलडी | बैक-एमडी |
| अहमदाबाद | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | 5 | डब्ल्यूआर | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | डब्ल्यूआर | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) | 2 | डब्ल्यूआर | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | डब्ल्यूआर | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू | 2 | डब्ल्यूआर | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | डब्ल्यूआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | डब्ल्यूआर | 29 | 19 | 6 | 15 | 9 | 78 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | डब्ल्यूआर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | डब्ल्यूआर | 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला) | 2 | डब्ल्यूआर | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | डब्ल्यूआर | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | डब्ल्यूआर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) | 2 | डब्ल्यूआर | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | | | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 71 | 30 | 13 | 30 | 22 | 166 | 16 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी अहमदाबाद कुल | | | 75 | 31 | 13 | 32 | 23 | 174 | 17 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अजमेर | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | 5 | एनडब्ल्यूआर | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वैगन | 2 | एनडब्ल्यूआर | 30 | 4 | 3 | 0 | 2 | 39 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) | 2 | एनडब्ल्यूआर | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | एनडब्ल्यूआर | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | डब्ल्यूसीआर | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप (पावर और टीएल) | 2 | एनडब्ल्यूआर | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एनडब्ल्यूआर | 12 | 19 | 10 | 10 | 6 | 57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एनडब्ल्यूआर | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) | 2 | एनडब्ल्यूआर | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 58 | 32 | 16 | 19 | 11 | 136 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी अजमेर कुल | | | 61 | 32 | 16 | 19 | 11 | 139 | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपी सी में स्तर | रेलवे | यू आर | एस सी | एस टी | ओ बी सी | ई डब्ल्यू एस | कुल | एक्स एस एम | पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | वी आ य | नम स्ते | एल डी | एम डी | पीछे - VI | पीछे - HI | पीछे - एलडी | बैक-एमडी | | | |
| बेंगलुरु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | 5 | एसडब्ल्यूआर | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वैगन | 2 | एसडब्ल्यूआर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | एसडब्ल्यूआर | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | एसडब्ल्यूआर | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | एसडब्ल्यूआर | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू | 2 | एसडब्ल्यूआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | एसडब्ल्यूआर | 17 | 8 | 3 | 11 | 3 | 42 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | एसडब्ल्यूआर | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप (पावर और टीएल) | 2 | एसडब्ल्यूआर | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू और वर्कशॉप) | 2 | आरडब्ल्यूएफ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | आरडब्ल्यूएफ | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | आरडब्ल्यूएफ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) | 2 | एसडब्ल्यूआर | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 60 | 21 | 10 | 31 | 9 | 131 | 11 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | आरआरबी बेंगलुरु कुल | | | 64 | 23 | 12 | 32 | 9 | 140 | 12 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| भोपाल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | 5 | डब्ल्यूसीआर | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | डब्ल्यूआर | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | डब्ल्यूआर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वैगन | 2 | डब्ल्यूसीआर | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | डब्ल्यूआर | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस | 2 | डब्ल्यूसीआर | 15 | 6 | 3 | 11 | 4 | 39 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | डब्ल्यूआर | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | डब्ल्यूआर | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | डब्ल्यूसीआर | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | डब्ल्यूआर | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | डब्ल्यूसीआर | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | डब्ल्यूआर | 14 | 5 | 0 | 6 | 2 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | डब्ल्यूसीआर | 13 | 5 | 3 | 8 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | डब्ल्यूआर | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | | | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 92 | 28 | 9 | 38 | 17 | 184 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | आरआरबी भोपाल कुल | | | 104 | 31 | 11 | 44 | 20 | 210 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | रेलवे | यू आर | एस सी | एस टी | ओ बी सी | ई डब्ल्यू एस | कुल | एक्स एस एम | पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | वी आय | हेच आय | एल डी | एम डी | बी वी आय | बी हेच आय | बी एल डी | बी एम डी |
| भुवनेश्वर | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | 5 | ईसीओआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रेक मशीन | 2 | ईसीओआर | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | ईसीओआर | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज | 2 | ईसीओआर | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वैगन | 2 | ईसीओआर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस | 2 | ईसीओआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | ईसीओआर | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | ईसीओआर | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | ईसीओआर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 19 | 5 | 2 | 8 | 3 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी भुवनेश्वर कुल | | | 20 | 5 | 2 | 8 | 3 | 38 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिलासपुर | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | 5 | सीआर | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसईसीआर | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रेक मशीन | 2 | एसईसीआर | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | एसईसीआर | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज | 2 | एसईसीआर | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | एसईसीआर | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) | 2 | एसईसीआर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस | 2 | एसईसीआर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | सीआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसईसीआर | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | सीआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसईसीआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | एसईसीआर | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग | 2 | एसईसीआर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | एसईसीआर | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | सीआर | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसईसीआर | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एसईसीआर | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) | 2 | एसईसीआर | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | | | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 19 | 10 | 5 | 15 | 11 | 60 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी बिलासपुर कुल | | | 23 | 12 | 6 | 17 | 13 | 71 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपी सी में स्तर | रेलवे | यू आर | एस सी | एस टी | ओ बी सी | ई डब्ल्यू एस | कुल | एक्स एस एम | पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|--------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | वी आय | नमस्ते | एल डी | एम डी | पीछे - VI | पीछे - HI | पीछे - एलडी |
| चंडीगढ़ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | 5 | एन.आर. | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | एन.आर. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | एन.आर. | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | एन.आर. | 15 | 6 | 2 | 9 | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | तकनीशियन ग्रेड III बढई (कार्यशाला) | 2 | एन.आर. | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) (कार्यशाला) | 2 | एन.आर. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एन.आर. | 72 | 31 | 14 | 43 | 16 | 176 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला) | 2 | एन.आर. | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एन.आर. | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला) | 2 | एन.आर. | 21 | 6 | 7 | 13 | 4 | 51 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | तकनीशियन ग्रेड III टिमर (कार्यशाला) | 2 | एन.आर. | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) | 2 | एन.आर. | 21 | 11 | 7 | 15 | 5 | 59 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | | | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 175 | 73 | 41 | 105 | 37 | 431 | 44 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी चंडीगढ़ कुल | | | 181 | 75 | 42 | 109 | 39 | 446 | 46 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| चेन्नई | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | 5 | एसआर | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन | 2 | एसआर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | एसआर | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज | 2 | एसआर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वैगन | 2 | एसआर | 20 | 5 | 3 | 4 | 1 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | एसआर | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) | 2 | एसआर | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस | 2 | एसआर | 89 | 32 | 17 | 53 | 17 | 208 | 21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | एसआर | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | एसआर | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | एसआर | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग | 2 | एसआर | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | तकनीशियन ग्रेड III रिवेटर | 2 | एसआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | एसआर | 11 | 5 | 3 | 11 | 3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | एसआर | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | तकनीशियन ग्रेड III क्रेन चालक | 2 | एसआर | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | रेलवे | यू आर | एस सी | एस टी | ओ बी सी | डब्ल्यू एस | कुल | एक्स एस एम | पीडब्ल्यूवीडी रिक्तियां | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | वी आय | नम स्ते | एल डी | एम डी | पीछे - VI | पीछे - HI | पीछे - एलडी |
| चेन्नई | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) (कार्यशाला) | 2 | एसआर | 20 | 8 | 4 | 14 | 5 | 51 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल कार्यशाला (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एसआर | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप (पावर और टीएल) | 2 | एसआर | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू और वर्कशॉप) | 2 | आईसीएफ | 9 | 14 | 30 | 0 | 0 | 53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसआर | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | आईसीएफ | 161 | 52 | 81 | 43 | 14 | 351 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसआर | 62 | 37 | 19 | 44 | 17 | 179 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला) | 2 | एसआर | 14 | 5 | 3 | 10 | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एसआर | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) | 2 | एसआर | 71 | 27 | 13 | 48 | 18 | 177 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | | 546 | 225 | 199 | 273 | 95 | 1338 | 138 | 7 | 23 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| आरआरबी चेन्नई कुल | | | | 552 | 226 | 200 | 274 | 95 | 1347 | 139 | 7 | 23 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| गोरखपुर | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | एनईआर | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस | 2 | एनईआर | 16 | 6 | 2 | 9 | 3 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | एनईआर | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | एनईआर | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | एनईआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप (पावर और टीएल) | 2 | एनईआर | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | | 27 | 14 | 5 | 16 | 6 | 68 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आरआरबी गोरखपुर कुल | | | | 27 | 14 | 5 | 16 | 6 | 68 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुवाहाटी | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | 5 | एनएफआर | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | एनएफआर | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वेगन | 2 | एनएफआर | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | एनएफआर | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | एनएफआर | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | एनएफआर | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | एनएफआर | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | एनएफआर | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपी सी में स्तर | रेलवे | यू आर | एस सी | एस टी | ओ बी सी | ई डब्ल्यू एस | कुल | एक्स एस एम | पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | वी आय | नम स्ते | एल डी | एमडी | पीछे - VI | पीछे - HI | पीछे - एलडी |
| गुवाहाटी | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप (पावर और टीएल) | 2 | एनएफआर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III। फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एनएफआर | 22 | 7 | 4 | 13 | 6 | 52 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | तकनीशियन ग्रेड III। मशीनिस्ट (कार्यशाला) | 2 | एनएफआर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | तकनीशियन ग्रेड III। वेल्डर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एनएफआर | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III। वेल्डर (कार्यशाला) | 2 | एनएफआर | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | | | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 71 | 24 | 13 | 44 | 17 | 169 | 14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी गुवाहाटी कुल | | | 76 | 27 | 14 | 48 | 19 | 184 | 16 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| जम्मू-श्रीनगर | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | 5 | एनआर. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III। लोहार | 2 | एनआर. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III। कैरिज और वैगन | 2 | एनआर. | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III। डीजल (मैकेनिकल) | 2 | एनआर. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | एनआर. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III। वेल्डर (ओएल) | 2 | एनआर. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | तकनीशियन ग्रेड III। डीजल मैकेनिकल कार्यशाला (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | डीएमडब्लू | 38 | 13 | 3 | 23 | 8 | 85 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल (पीयू और वर्कशॉप) | 2 | डीएमडब्लू | 46 | 17 | 8 | 30 | 10 | 111 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III। फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | आरसीएफ | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | तकनीशियन ग्रेड III। मिलराइट (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | आरसीएफ | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | तकनीशियन ग्रेड III। वेल्डर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | आरसीएफ | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 117 | 58 | 16 | 68 | 32 | 291 | 31 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी जम्मू-श्रीनगर कुल | | | 119 | 59 | 16 | 69 | 33 | 296 | 32 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| श्रेणी संख्या. | पद का नाम | 7वें सीपी सी में स्तर | रेलवे | उर | अनु सूचित जाति | अनु सूचित जन जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईड ब्यूस | नेट वैक | पूर्व एस.एम. | पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------|------------|----------------|-------------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | छठी | नमस्ते | एलडी | एमडी | पीछे - VI | पीछे - HI | पीछे - एलडी | बैक-एमडी |
| कोलकाता | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | 5 | ईआर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन | 2 | ईआर | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | ईआर | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | ईआर | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसईआर | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) | 2 | ईआर | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसईआर | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | ईआर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसईआर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | ईआर | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसईआर | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू | 2 | ईआर | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | ईआर | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग | 2 | ईआर | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसईआर | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | ईआर | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | एसईआर | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | ईआर | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसईआर | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | तकनीशियन ग्रेड III क्रेन चालक | 2 | ईआर | 10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एसईआर | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू और वर्कशॉप) | 2 | एसईआर | 35 | 12 | 7 | 22 | 7 | 83 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ईआर | 406 | 123 | 57 | 190 | 60 | 836 | 85 | 9 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एसईआर | 24 | 9 | 4 | 16 | 6 | 59 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ईआर | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला) | 2 | एसईआर | 57 | 21 | 10 | 38 | 13 | 139 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ईआर | 52 | 22 | 3 | 29 | 4 | 110 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एसईआर | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ईआर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) | 2 | एसईआर | 662 | 221 | 100 | 340 | 106 | 1431 | 148 | 12 | 23 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | | ईआर | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आरआरबी कोलकाता कुल | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 662 | 221 | 100 | 340 | 107 | 1434 | 148 | 12 | 23 | 20 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | रेलवे | यू आर | एस सी | एस टी | ओ बी सी | ई डब्ल्यू एस | कुल | एक्स एस एम | पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | वी आ य | नम स्ते | एल डी | एमडी | पीछे - VI | पीछे - HI | पीछे - एलडी |
| मालदा | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | 5 | ईआर | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | ईआर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | ईआर | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) | 2 | ईआर | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | ईआर | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | ईआर | 10 | 11 | 2 | 13 | 2 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग | 2 | एसईआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | ईआर | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | ईआर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 19 | 15 | 4 | 20 | 3 | 61 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी मालदा कुल | | | 27 | 16 | 4 | 20 | 3 | 70 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मुजफ्फरपुर | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | 5 | ईसीआर | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | | | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी मुजफ्फरपुर कुल | | | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | रेलवे | यू आर | एस सी | एस टी | ओ बी सी | ई डब्ल्यू एस | कुल | एक्स एस एम | पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------|-----|------------|-------------------------|---------|-------|------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | वी आ य | नम स्ते | एल डी | एमडी | पीछे - VI | पीछे - HI | पीछे - एलडी | बैक-एम डी |
| मुंबई | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | 5 | सीआर | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | डब्ल्यूआर | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन | 2 | डब्ल्यूआर | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | सीआर | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | डब्ल्यूआर | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज | 2 | डब्ल्यूआर | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | डब्ल्यूआर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) | 2 | डब्ल्यूआर | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | सीआर | 34 | 14 | 7 | 24 | 10 | 89 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | डब्ल्यूआर | 19 | 8 | 8 | 20 | 5 | 60 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | सीआर | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एससीआर | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | डब्ल्यूआर | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | सीआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | डब्ल्यूआर | 17 | 1 | 1 | 11 | 6 | 36 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू | 2 | डब्ल्यूआर | 26 | 16 | 8 | 13 | 7 | 70 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | सीआर | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एससीआर | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | डब्ल्यूआर | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | सीआर | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग | 2 | डब्ल्यूआर | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | सीआर | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एससीआर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | डब्ल्यूआर | 27 | 7 | 6 | 13 | 5 | 58 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | सीआर | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | डब्ल्यूआर | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | तकनीशियन ग्रेड III क्रेन चालक | 2 | डब्ल्यूआर | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | तकनीशियन ग्रेड III बट्टई (कार्यशाला) | 2 | सीआर | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | सीआर | 27 | 10 | 6 | 17 | 7 | 67 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | डब्ल्यूआर | 69 | 24 | 13 | 48 | 19 | 173 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | सीआर | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला) | 2 | डब्ल्यूआर | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | डब्ल्यूआर | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | रेलवे | यू आर | एस सी | एस टी | ओ बी सी | ई डब्ल्यू एस | कुल | एक्स एस एम | पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | वी आ य | नम स्ते | एल डी | एम डी | पीछे - VI | पीछे - HI | पीछे - एलडी | वैक-एमडी | | | | | | | | | |
| मुंबई | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | तकनीशियन ग्रेड III। पेंटर (कार्यशाला) | 2 | सीआर | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | तकनीशियन ग्रेड III। ट्रिमर (कार्यशाला) | 2 | सीआर | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III। वेल्डर (कार्यशाला) | 2 | सीआर | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | डब्ल्यूआर | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I। सिग्रल | | | 16 | 5 | 3 | 9 | 6 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III। | | | 333 | 131 | 70 | 219 | 99 | 852 | 88 | 13 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | आरआरबी मुंबई कुल | | | 349 | 136 | 73 | 228 | 105 | 891 | 92 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| पटना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III। वेल्डर (ओएल) | 2 | ईसीआर | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I। सिग्रल | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III। | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | आरआरबी पटना कुल | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| प्रयागराज | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I। सिग्रल | 5 | एनसीआर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III। लोहार | 2 | एनसीआर | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | तकनीशियन ग्रेड III। ब्रिज | 2 | एनसीआर | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III। कैरिज और वैगन | 2 | एनसीआर | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल / टीआरएस | 2 | एनसीआर | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | एनसीआर | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | एनसीआर | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | तकनीशियन ग्रेड III। रिवेटर | 2 | एनसीआर | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III। (एस एंड टी) | 2 | एनसीआर | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III। वेल्डर (ओएल) | 2 | एनसीआर | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III। फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एनसीआर | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | तकनीशियन ग्रेड III। मैकेनिकल (पीयू और डब्ल्यूएस) | 2 | एनसीआर | 30 | 27 | 14 | 50 | 30 | 151 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I। सिग्रल | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III। | | | 72 | 35 | 25 | 68 | 38 | 238 | 24 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | आरआरबी प्रयागराज कुल | | | 72 | 36 | 25 | 68 | 38 | 239 | 24 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| रांची | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I। सिग्रल | 5 | ईसीआर | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III। कैरिज और वैगन | 2 | ईसीआर | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | एसईआर | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III। (एस एंड टी) | 2 | एसईआर | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III। वेल्डर (ओएल) | 2 | ईसीआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I। सिग्रल | | | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III। | | | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | आरआरबी रांची कुल | | | 18 | 5 | 2 | 8 | 2 | 35 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपी सी में स्तर | रेलवे | यू आर | एस सी | एस टी | ओ बी सी | ई डब्ल्यू एस | कुल | एक्स एस एम | पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | वी आ य | नम स्ते | एल डी | एमडी | पीछे - VI | पीछे - HI | पीछे - एलडी | बैक-एमडी |
| सिकंदराबाद | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | ईसीओआर | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | एससीआर | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) | 2 | एससीआर | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | एससीआर | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | एससीआर | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | ईसीओआर | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग | 2 | एससीआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | ईसीओआर | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | एससीआर | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | ईसीओआर | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 58 | 16 | 6 | 22 | 11 | 113 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी सिकंदराबाद कुल | | | 58 | 16 | 6 | 22 | 11 | 113 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सिलीगुड़ी | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | 5 | एनएफआर | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | एनएफआर | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | एनएफआर | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) | 2 | एनएफआर | 24 | 10 | 5 | 16 | 5 | 60 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | एनएफआर | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) | 2 | एनएफआर | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) | 2 | एनएफआर | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 53 | 20 | 10 | 34 | 11 | 128 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी सिलीगुड़ी कुल | | | 55 | 21 | 10 | 35 | 12 | 133 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| श्रेणी संख्या | पद का नाम | 7वें सीपी सी में स्तर | रेलवे | यू आर | एस सी | एस टी | ओ बी सी | डब्ल्यू एस | कुल | एक्स एस एम | पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|------------|------|------------|-------------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | वी आ य | नम स्ते | एल डी | एम डी | पीछे - VI | पीछे - HI | पीछे - एलडी | बैक-एमडी |
| तिरुवनंतपुरम | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | 5 | एसआर | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रेक मशीन | 2 | एसआर | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | 2 | एसआर | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वेगन | 2 | एसआर | 38 | 20 | 12 | 23 | 14 | 107 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) | 2 | एसआर | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मेकेनिकल) | 2 | एसआर | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) | 2 | एसआर | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) | 2 | एसआर | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू | 2 | एसआर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग | 2 | एसआर | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | तकनीशियन ग्रेड III रिवेटर | 2 | एसआर | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) | 2 | एसआर | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 80 | 31 | 28 | 30 | 22 | 191 | 19 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | आरआरबी तिरुवनंतपुरम कुल | | | 83 | 32 | 28 | 32 | 22 | 197 | 19 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सभी आरआरबी कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल | | | 83 | 27 | 12 | 38 | 21 | 183 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | सभी आरआरबी कुल तकनीशियन ग्रेड III | | | 2547 | 993 | 574 | 1387 | 552 | 6055 | 605 | 50 | 114 | 116 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | सभी आरआरबी कुल योग | | | 2630 | 1020 | 586 | 1425 | 573 | 6238 | 624 | 50 | 114 | 128 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 |

मर्ज किए गए पोस्ट श्रेणियों का विवरण (एमपीसी)

| श्रेणी संख्या | मूल पद का नाम (विलय से पहले) | विभाग | उप-विभाग | 7वें सीपीसी में स्तर | पद का नाम (अधिसूचित) |
|---------------|--|-------------|----------------|----------------------|--|
| 9 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / पावर | विद्युतीय | सामान्य सेवाएं | 2 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस) |
| | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / ट्रेन लाइटिंग | विद्युतीय | सामान्य सेवाएं | | |
| | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल | विद्युतीय | सामान्य सेवाएं | | |
| 10 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरडी (ओएचई) | विद्युतीय | टीआरडी | 2 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी) |
| | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरडी (पीएसआई) | विद्युतीय | टीआरडी | | |
| | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरडी | विद्युतीय | टीआरडी | | |
| 12 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर | विद्युतीय | सामान्य सेवाएं | 2 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल) |
| | तकनीशियन ग्रेड III फिटर | इंजीनियरिंग | काम करता है | | |
| | तकनीशियन ग्रेड III फिटर | यांत्रिक | गाड़ी और वैगन | | |
| 15 | तकनीशियन ग्रेड III सिग्नल | एस और टी | सिग्नल | 2 | तकनीशियन ग्रेड III (एस एंड टी) |
| | तकनीशियन ग्रेड III दूरसंचार | एस और टी | दूरसंचार | | |
| 16 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर | यांत्रिक | गाड़ी और वैगन | 2 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल) |
| | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर | इंजीनियरिंग | पी वे | | |
| 20 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल (कार्यशाला) | यांत्रिक | उत्पादन इकाई | 2 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल कार्यशाला (पीयू और डब्ल्यूएस) |
| | तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल (कार्यशाला) | यांत्रिक | कार्यशाला | | |
| 21 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / पावर (कार्यशाला) | विद्युतीय | कार्यशाला | 2 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप (पावर और टीएल) |
| | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / ट्रेन लाइटिंग (कार्यशाला) | विद्युतीय | कार्यशाला | | |
| 22 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल | विद्युतीय | उत्पादन इकाई | 2 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू और कार्यशाला) |
| | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (कार्यशाला) | विद्युतीय | कार्यशाला | | |
| | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल | यांत्रिक | उत्पादन इकाई | | |
| 23 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर | इंजीनियरिंग | उत्पादन इकाई | 2 | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस) |
| | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (कार्यशाला) | एस और टी | कार्यशाला | | |
| | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (कार्यशाला) | यांत्रिक | कार्यशाला | | |
| | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (कार्यशाला) | इंजीनियरिंग | कार्यशाला | | |
| | तकनीशियन ग्रेड III फिटर (कार्यशाला) | विद्युतीय | कार्यशाला | | |
| | तकनीशियन ग्रेड III फिटर | विद्युतीय | उत्पादन इकाई | | |
| | तकनीशियन ग्रेड III फिटर | यांत्रिक | उत्पादन इकाई | | |

| बिल्ली नं. | मूल पोस्ट का नाम (विलय से पहले) | विभाग | उप-विभाग | 7वें सीपीसी में स्तर | पद का नाम (जैसा अधिसूचित किया गया) |
|------------|---|-------------|--------------|----------------------|---|
| 25 | तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल | यांत्रिक | उत्पादन इकाई | 2 | तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (पीयू और डब्ल्यूएस) |
| | तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (कार्यशाला) | यांत्रिक | कार्यशाला | | |
| 26 | तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट | यांत्रिक | उत्पादन इकाई | 2 | तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट (पीयू और डब्ल्यूएस) |
| | तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट | यांत्रिक | कार्यशाला | | |
| 29 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) | इंजीनियरिंग | कार्यशाला | 2 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू और डब्ल्यूएस) |
| | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर | यांत्रिक | उत्पादन इकाई | | |

सीईएन संख्या 02/2025 की एकल श्रेणियों का विवरण

| बिल्ली नं. | मूल पोस्ट का नाम (विलय से पहले) | विभाग | उप-विभाग | 7वें सीपीसी में स्तर | पद का नाम (जैसा अधिसूचित किया गया) |
|------------|---|-------------|----------------|----------------------|---|
| 1 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल | एस और टी | सिग्नल | 5 | तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल |
| 2 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन | इंजीनियरिंग | ट्रैक मशीन | 2 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन |
| 3 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार | इंजीनियरिंग | पी वे | 2 | तकनीशियन ग्रेड III लोहार |
| 4 | तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज | इंजीनियरिंग | पुल | 2 | तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज |
| 5 | तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वैगन | यांत्रिक | गाड़ी और वैगन | 2 | तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वैगन |
| 6 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल | यांत्रिक | डीजल शेड | 2 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) |
| 7 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल | यांत्रिक | डीजल शेड | 2 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल) |
| 8 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस | विद्युतीय | टीआरएस | 2 | तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस |
| 11 | तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू | विद्युतीय | ईएमयू | 2 | तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू |
| 13 | तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग | विद्युतीय | सामान्य सेवाएं | 2 | तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग |
| 14 | तकनीशियन ग्रेड III रिवेटर | इंजीनियरिंग | पुल | 2 | तकनीशियन ग्रेड III रिवेटर |
| 17 | तकनीशियन ग्रेड III क्रेन चालक | यांत्रिक | कार्यशाला | 2 | तकनीशियन ग्रेड III क्रेन चालक |
| 18 | तकनीशियन ग्रेड III बढई (कार्यशाला) | यांत्रिक | कार्यशाला | 2 | तकनीशियन ग्रेड III बढई (कार्यशाला) |
| 19 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल (कार्यशाला) | यांत्रिक | कार्यशाला | 2 | तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल) (कार्यशाला) |
| 24 | तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला) | यांत्रिक | कार्यशाला | 2 | तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला) |
| 27 | तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला) | यांत्रिक | कार्यशाला | 2 | तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला) |
| 28 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रिमर (कार्यशाला) | यांत्रिक | कार्यशाला | 2 | तकनीशियन ग्रेड III ट्रिमर (कार्यशाला) |
| 30 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) | यांत्रिक | कार्यशाला | 2 | तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला) |

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/ श्रीमती / कुमारी * ...

. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है: -

@संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.

@संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.

@संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

@संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित]

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) * अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) * अनुसूचित जाति आदेश, 1962।

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962

@संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970।

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989।

@संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

@संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002।

@अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002।

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007

समय-समय पर संशोधित।

%2. यह उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य में प्रवास कर आये हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/ श्रीमती * पिता/माता* श्री/ श्रीमती / कुमारी गांव/कस्बा * को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है। . . .

3. श्री/ श्रीमती / कुमारी * और/या* उनका/उनकी* फैमिली सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के गांव/कस्बा* जिला/संभाग* में रहती है।

स्थान.....हस्ताक्षर.....

दिनांक..... पदनाम

(कार्यालय की मुहर के साथ)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....

*कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

% D वह पैराग्राफ हटाएँ, जो लागू न हो।

टिप्पणी: (क) यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)। 2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। 3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।

4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है। 5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र का प्रारूप

अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करना

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री*
श्री/श्रीमती* _____ गांव/कस्बा* _____
जिला/मंडल* _____ राज्य/संघ शासित प्रदेश _____ में _____ समुदाय
से संबंधित हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या _____
दिनांक _____ ** के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ और/या उनका/उनकी फैमिली सामान्यतः
_____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के _____ जिले/मंडल में रहती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और इसे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (निवास) द्वारा संशोधित किया गया है।

दिनांकित: _____

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त
/कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय मुहर

* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें।

** प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी बताई गई हो।

*** समय-समय पर संशोधित

टिप्पणी:

क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः निवास करता है' का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो और उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार रहता हो।

SELF DECLARATION BY OBC(NCL) CANDIDATES

अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणापत्र का प्रारूप
दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने पदों के लिए आवेदन किया था
केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 02/2025 के विरुद्ध

“मैं,
पुत्र/पुत्री श्री गांव/कस्बा/शहर
..... जिला राज्य का निवासी हूँ, एतद्वारा
घोषणा करता हूँ कि मैं (अपनी उपजाति बताएं) समुदाय से संबंधित हूँ, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था..(एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के
उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक
08.09.1993 और उसके बाद के संशोधन के अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ। आवेदन
प्रस्तुत करने की तिथि को दिनांक 13.09.2017 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण)।

स्थान: अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

दिनांक: अभ्यर्थी का नाम:

आरआरबी पंजीकरण संख्या / रोल नंबर:
.....

की सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या. _____

दिनांक : _____

वर्ष _____ के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी _____
के स्थायी निवासी _____ का पुत्र/पुत्री/पत्नी,
गांव/गली _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य/संघ शासित प्रदेश _____
पिन कोड _____ जिसका फोटो नीचे सत्यापित है वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके/उसकी
"परिवार" की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष _____ के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।
उसके/उसकी परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है या उसके पास नहीं है***:

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/ कुमारी _____ जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो। इस प्रमाण पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए

हस्ताक्षर सहित मुहर
कार्यालय _____
नाम _____
पद का नाम _____

* नोट 1 : आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

** नोट 2 : इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट 3 : ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट /उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और
- (iv) उप-विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

Income Certificate for Economically Backward Class candidates

केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 02/2025 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रोफ़ॉर्मा

प्रमाण पत्र सं.

1. अभ्यर्थी का नाम :
2. पिता का नाम:
3. आयु:
4. आवासीय पता:
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों एवं अंकों में):

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम:

जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर:

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का अर्थ उन उम्मीदवारों से होगा जिनके परिवार की आय 50,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

- तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोक सभा के वर्तमान संसद सदस्य
राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।
4) देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केन्द्रीय मंत्री।

घोषणा

केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 02/2025 के तहत दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रोफार्मा

“मैं, पुत्र/पुत्री श्री
 गांव/कस्बा/शहर
 जिला राज्य
 का निवासी हूँ, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं
 (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात
 मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/पारसी) से संबंधित हूँ।

दिनांक: उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान: अभ्यर्थी का नाम

नोट: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात मुस्लिम / सिख / ईसाई / बौद्ध / जैन / पारसी) से संबंधित हैं।

फॉर्म - वी
विकलांगता प्रमाणपत्र
(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनेपन और अंधेपन के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति की
हाल ही में ली गई
पासपोर्ट साइज
सत्यापित तस्वीर
(केवल चेहरा दिखाते
हए)

प्रमाणपत्र संख्या: दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
..... जन्म तिथि (दिनांक/मास/वर्ष) आयु
..... वर्ष, पुरुष/महिला पंजीकरण संख्या मकान संख्या
वार्ड/गांव/गली डाकघर जिला राज्य का

ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है और मैं संतुष्ट हूँ कि:

(ए) वह निम्नलिखित में से एक मामला है:

*चलन संबंधी विकलांगता

*बौनापन

*अंधापन

(कृपया जहां लागू हो वहां टिक करें)

(बी) उसके मामले में निदान है।

दिशा-निर्देशों (दिशा-निर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जाए) के अनुसार उसके%
(आंकड़ों में) प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी गतिशील विकलांगता/बौनापन/अंधापन है
।

(2) आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

| दस्तावेज की प्रकृति | जारी करने की तिथि | जारी करने वाले प्राधिकरण का विवरण प्रमाणपत्र |
|---------------------|-------------------|---|
| | | |

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
जिसके पक्ष में विकलांगता
प्रमाणपत्र जारी किया गया है

फॉर्म-VI
विकलांगता प्रमाणपत्र
(एकाधिक विकलांगता के मामले में) [नियम 18(1) देखें]
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाणपत्र संख्या : दिनांक:

विकलांग व्यक्ति की
हाल ही में ली गई
पासपोर्ट साइज
सत्यापित तस्वीर
(केवल चेहरा दिखाते
हुए)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/ कुमारी की सावधानीपूर्वक
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री जन्म तिथि (दिनांक/मास/वर्ष)
आयु वर्ष, पुरुष/महिला पंजीकरण संख्या
मकान नं. वार्ड/गांव/गली का स्थायी निवासी
..... डाकघर जिला राज्य
जिनका फोटो ऊपर चिपका हुआ है और वे संतुष्ट हैं कि:

(ए) वह एकाधिक विकलांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक दुर्बलता/विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशा-निर्देशों (दिशा-निर्देशों के जारी होने की संख्या और तारीख निर्दिष्ट की जानी है) के अनुसार किया गया है, जो नीचे दिए गए विकलांगताओं के लिए है और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दिखाया गया है:

| क्र.सं. | विकलांगता | शरीर का प्रभावित हिस्सा | निदान | स्थायी शारीरिक विकलांगता/मानसिक विकलांगता (% में) |
|---------|--------------------------------|-------------------------|-------|---|
| 1 | लोकोमोटर विकलांगता | @ | | |
| 2 | मांसपेशीय दुर्बलता | | | |
| 3 | कुष्ठ रोग ठीक हुआ | | | |
| 4 | बौनापन | | | |
| 5 | मस्तिष्क पक्षाघात | | | |
| 6 | एसिड अटेक पीड़िता | | | |
| 7 | कम दृष्टि | # | | |
| 8 | अंधापन | # | | |
| 9 | बहरा | £ | | |
| 10 | सुनने में कठिन | £ | | |
| 11 | वाणी एवं भाषा विकलांगता | | | |
| 12 | बौद्धिक विकलांगता | | | |
| 13 | विशिष्ट अधिगम विकलांगता | | | |
| 14 | ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार | | | |
| 15 | मानसिक बिमारी | | | |
| 16 | क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां | | | |
| 17 | मल्टीपल स्क्लेरोसिस | | | |
| 18 | पार्किंसंस रोग | | | |
| 19 | हीमोफीलिया | | | |
| 20 | थेलेसीमिया | | | |
| 21 | सिकल सेल रोग | | | |

(बी) उपर्युक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जाए) के अनुसार उनकी समग्र स्थायी शारीरिक विकलांगता निम्नानुसार है:

आंकड़ों में: प्रतिशत, शब्दों में: प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन:

i) आवश्यक नहीं है, या

ii) वर्ष महीने के बाद अनुशंसित किया जाता है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र तक वैध रहेगा।
(दिन/माह/वर्ष)

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर; # उदाहरणार्थ एक आंख/दोनों आंखें; £ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

| दस्तावेज की प्रकृति | जारी करने की तिथि | प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण |
|---------------------|-------------------|--|
| | | |

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

.....

सदस्य का नाम और मुहर सदस्य का नाम और मुहर अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर / अंगठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

फॉर्म-VII

विकलांगता प्रमाणपत्र

(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में) [नियम 18(1) देखें]
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति की हाल ही में ली गई पासपोर्ट साइज सत्यापित तस्वीर (केवल चेहरा दिखाते हुए)

प्रमाणपत्र संख्या: दिनांक:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी की सावधानीपूर्वक जांच की है।

..... पुत्र/पत्नी/पुत्री

श्री जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)

आयु वर्ष, पुरुष/महिला पंजीकरण संख्या

..... मकान नं. वार्ड/गाँव/गली..... का स्थाई निवासी

डाकघर जिला राज्य, जिसका फोटो चिपका हुआ है

उपरोक्त और मैं संतुष्ट हूँ कि वह विकलांगता का मामला है _____। उसकी प्रतिशतता की सीमा

जारी करने की तिथि और संख्या) के अनुसार किया गया है।

दिशानिर्देश निर्दिष्ट किए जाने हैं) नीचे दिए गए तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दर्शाया गया है:

| क्र.सं. | विकलांगता | शरीर का प्रभावित हिस्सा | निदान | स्थायी शारीरिक विकलांगता/मानसिक विकलांगता (% में) |
|---------|--------------------------------|-------------------------|-------|---|
| 1 | लोकोमोटर्स विकलांगता | @ | | |
| 2 | मासपेशीय दुर्विकास | | | |
| 3 | कुष्ठ रोग ठीक हुआ | | | |
| 4 | मास्तष्क पक्षाघात | | | |
| 5 | एसेड अटेक पीड़िता | | | |
| 6 | कम दृष्टि | # | | |
| 7 | बहरा | £ | | |
| 8 | सुनने में कठिन | £ | | |
| 9 | वाणी एवं भाषा विकलांगता | | | |
| 10 | बौद्धिक विकलांगता | | | |
| 11 | विशेष आधिगम विकलांगता | | | |
| 12 | ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार | | | |
| 13 | मानसिक बिमारियाँ | | | |
| 14 | क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ | | | |
| 15 | मल्टीपल स्क्लेरोसिस | | | |
| 16 | पाकिंसंस रोग | | | |
| 17 | हॉर्माफॉलिया | | | |
| 18 | थैलेसीमिया | | | |
| 19 | सिकल सेल रोग | | | |

(कृपया उन विकलांगताओं को काट दें जो लागू नहीं हैं)

(बी) उपर्युक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक विकलांगता निम्नानुसार है:
 आंकड़ों में: प्रतिशत, शब्दों में प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं वाली होती है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार है:

i) आवश्यक नहीं, या

ii) वर्ष महीने के बाद/अनुशंसित किया जाता है, और इसलिए यह प्रमाण पत्र

वैध (दिन/माह/वर्ष) तक

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर; # उदाहरणार्थ एक आंख/दोनों आंखें; £ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

| दस्तावेज की प्रकृति | जारी करने की तिथि | प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण |
|---------------------|-------------------|--|
| | | |

| | |
|--|--|
| प्रतिहस्ताक्षरित [(यदि प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो सीएमओ / चिकित्सा अधीक्षक / सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर और मुहर (मुहर सहित)] | (अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मुहर) |
|--|--|

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

नोट: यदि यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह तभी वैध होगा जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो। मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.ओ.908(ई), दिनांक 31 दिसंबर, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र

- नोट: 1. अंधेपन, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित - बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति चाहे तो उसे स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V (डी) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।
2. बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लेखक के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक की आवश्यकता है। उम्मीदवार अनुलग्नक V(G) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(D) के अनुसार वचन पत्र परीक्षा केंद्र पर जमा करने के बाद लेखक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
3. दिव्यांगजन (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और लिखने में कठिनाई होने पर, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(ई) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(एफ) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए लेखक की सहायता ले सकते हैं।

उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले प्रस्तावित लेखक का विवरण

1. अभ्यर्थी का नाम
2. रोल नं.
3. सीबीटी केंद्र का नाम
4. अभ्यर्थी की योग्यता
5. विकलांगता का प्रकार
6. लेखक का नाम
- 6a) मेरे स्क्राइब का आरआरबी के पास वनटाइम रजिस्ट्रेशन नंबर (ओटीआर) है :
7. लेखक की जन्मतिथि
8. लेखक के पिता का नाम
9. लेखक का पता:
(क) स्थायी पता.....
(ख) वर्तमान पता
10. लेखक की शैक्षिक योग्यता
11. यदि कोई हो तो लेखक का अभ्यर्थी से सम्बन्ध.....

यहां लेखक का हाल ही में लिया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी (रंगीन फोटो दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

12. घोषणा:

- i) हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब/स्क्राइब द्वारा सहायता प्राप्त उम्मीदवारों के आचरण के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड के निर्देशों को पढ़ लिया है/पढ़ लिया गया है और हम उनका पालन करने का वचन देते हैं।
- ii) हम घोषणा करते हैं कि लेखक इस परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं है। हम समझते हैं कि यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो हम दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- iii) हम घोषणा करते हैं कि लेखक ने इस परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में कार्य नहीं किया है/नहीं करेगा।
- iv) हम घोषणा करते हैं कि लेखक की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता से एक कदम कम है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि लेखक की योग्यता लेखक द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तथा यह परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से परे है, तो अभ्यर्थी को पद तथा उससे संबंधित दावों से वंचित होना पड़ेगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर) (लेखक के हस्ताक्षर)

बाएँ अगूठ का निशान
उम्मीदवार ऊपर दिए गए बॉक्स में

बाएँ अगूठ का निशान
ऊपर दिए गए बॉक्स में लिखें

निरीक्षक के हस्ताक्षर

आरपीडब्ल्यूडी की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात् 40 % से कम विकलांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/ सुश्री / श्रीमती (उम्मीदवार का नाम), पुत्र /पुत्री की जांच की है।
....., ए का निवासी (गाँव/पीओ/पीएस/ जिला /राज्य), आयु वर्ष, एक व्यक्ति (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) तथा यह बताना होगा कि उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए लेखक की सहायता की आवश्यकता है।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स , श्रवण यंत्र (नाम बताएं) का उपयोग करते हैं , जो अभ्यर्थी के लिए लेखक की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।
3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जारी किया जाता है तथा इसकी वैधता (यह अधिकतम छह माह या उससे कम अवधि के लिए वैध है , जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक होती है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

| (हस्ताक्षर और नाम) | (हस्ताक्षर और नाम) | (हस्ताक्षर और नाम) | (हस्ताक्षर और नाम) | (हस्ताक्षर और नाम) |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| आर्थोपेडिक/पीएमआर SPECIALIST | नैदानिक मनोविज्ञानी/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक | न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो) | व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध) | अन्य विशेषज्ञ, जैसे द्वारा मनोनीत अध्यक्ष (यदि कोई हो) |
| (हस्ताक्षर और नाम) | | | | |
| मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिलाचिकित्सा अधिकारीअध्यक्ष | | | | |

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

जगह:

तारीख:

40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र

यहां लेखक का हाल ही में लिया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं, जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो (रंगीन फोटोग्राफ दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।

उपरोक्त बॉक्स में लेखक के हस्ताक्षर (अर्थात् फोटोग्राफ के नीचे वाले बॉक्स में)

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात् 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।

1. मैं ----- (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) वाला अभ्यर्थी हूँ, जो ----- परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहा हूँ।
(परीक्षा का नाम) रोल नं. ----- पर ----- (केंद्र का नाम) जिले में -----,
----- (राज्य का ----- नाम)
मेरी शैक्षणिक योग्यता है ।
2. मैं यहां यह बताता हूँ कि ----- (लेखक का नाम) नीचे हस्ताक्षरकर्ता के लिए लेखक की सेवा प्रदान करेगा।
उपर्युक्त परीक्षा.
3. मैं यह वचन देता हूँ कि उसकी योग्यता ----- है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है तथा मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद या प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।
4. आरआरबी के साथ मेरा स्क्राइब वनटाइम रजिस्ट्रेशन नंबर (ओटीआर) है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी नाबालिग है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

जगह:

तारीख:

परीक्षार्थी की शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती _____ (विकलांग उम्मीदवार का नाम), जो _____ (विकलांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से ग्रस्त हैं, उनके पुत्र/पुत्री _____, (गांव/जिला/राज्य) के निवासी हैं, का परीक्षण किया है _____ और यह उल्लेख किया है कि उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जो उनकी विकलांगता के कारण उनकी लेखन क्षमताओं में बाधा डालती हैं।

हस्ताक्षर

किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम और पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

जगह:

तारीख:

नोट: प्रमाण पत्र संबंधित स्ट्रीम/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (जैसे दृश्य हानि - नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर विकलांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर)।

सिविल रोजगार के संबंध में
पूर्व सैनिक कोटा

मैं समझता हूँ कि मैं इस केन्द्रीयकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) के अंतर्गत भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर सिविल सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित) में कोई रोजगार प्राप्त किया हो।

मैं इसके साथ ही निम्नलिखित तथ्य भी घोषित करता हूँ:

- क) मैंने सीईएन _____ के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने से पहले, भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई भी सिविल रोजगार हासिल नहीं किया है।
- ख) मैंने सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाया है और मैंने सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले सीईएन _____ में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन(ओं) के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन दिया है, जिसके लिए मैंने आवेदन किया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व-घोषणा/वचन प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

नाम:

रोल नम्बर:

नियोजित अधिकारियों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. यह सूचित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती _____ (रैंक) के रूप में कार्यरत हैं। _____ (इकाई/कार्यालय) ने (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा विज्ञापन संख्या दिनांक 14.03.2013 के तहत विज्ञापित _____ पद _____ के लिए आवेदन किया है _____।
2. मैं, _____ उपलब्ध जानकारी के आधार पर, इस संबंध में प्रमाणित करता हूँ श्री/कुमारी/श्रीमती _____ (नाम) क्रमांक _____ (रैंक), निम्नानुसार:-
- i. वह भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित वर्षों (शब्दों में) की _____ नियुक्ति अवधि, अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन, _____ (तारीख) को पूरी कर लेगा। _____ श्री/कुमारी/श्रीमती _____ अनापत्ति प्रमाण-पत्र की तिथि को सेवा _____ के वर्ष (शब्दों में) तथा सैन्य सेवा छोड़ने के समय सेवा के वर्ष (शब्दों में) पूरे कर लेंगे। _____
- ii. पद पर चयन होने पर उसे सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान:
दिनांक:

कमांडिंग ऑफिसर:
(हस्ताक्षर)
कार्यालय मुहर